

Joint Committee Inspection Report

Submitted in Reference to

**Hon'ble National Green Tribunal (NGT),
Central Bench, Bhopal
Order dated 11-08-2023**

In the Matter of

**Original Application No. 61/2023 (CZ)
Anupam Kumar Patel
Vs**

State of Madhya Pradesh & Others.

Member of the Committee:


- 1. Dr. H.V.C. Chary Guntupalli, Scientist 'E', Regional Office, MoEF&CC, Bhopal (MP).**
- 2. Sh. Milind Kumar Nimje, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal, (MP).**
- 3. Sh. Shailendra Singh, Additional District Magistrate Rewa, (MP).**
- 4. Sh. Aadesh Shrivastav, Superintendent Engineer, M.P. Pollution Control Board, Bhopal (M.P.).**
- 5. Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Rewa (M.P.)**

Joint Inspection Report
O.A. 61/2023 (CZ)

INDEX

S. No.	Particular	Page No.
1.	Joint Committee Inspection Report	4-33
2.	Order of Hon'ble NGT dated 11.08.2023	Annexure-1 34-36
3.	Nomination of officials from concerning departments	Annexure-2 37-42
4.	Attendance sheet of the participants on the day of joint inspection.	Annexure-3 43-44
5.	Copy of CTO of M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher)	Annexure-4 45-46
6.	Copy of CTO of M/s Astha Cons. & Minerals (Mine)	Annexure-5 47-61
7.	Copy of EC letter dated 06.04.2023 of M/s Astha Cons. & Minerals (Mine)	Annexure-6 62
8.	Copy of letter dated 04.07.2023 with respect to the sealing direction of M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher)	Annexure-7 63
9.	Copy of Mokha Panchnama on the day of inspection i.e. 31.08.2023.	Annexure-8 64
10.	Copy of letter dated 09.07.2007 with respect to the diversion of land.	Annexure-9 65
11.	Copy of letter dated 14.07.2023 from Patwari, Ramnai	Annexure-10 66-69
12.	Copy Closure direction dated 12.05.2023 to M/s Astha Construction & Minerals (Stone Crusher) for non-compliance with pollution measures.	Annexure-11 70-71
13.	Copy of letter dated 19.12.2003 & 01.06.2010 w.r.t. lease allotment to M/s Aastha Cons. & Minerals (Mines).	Annexure-12 72-78
14.	Copy of letter dated 15.05.2023 w.r.t. details of lease granted & imposing a fine to Shri Santosh Sharma	Annexure-13 79
15.	Copy of notice letter dated 03.04.2019 issued to Shri Santosh Sharma with respect to illegal mining and imposing a fine.	Annexure-14 80-82
16.	Copy of letter dated 16.05.2023 w.r.t. grant of lease for khasra no.224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11.	Annexure-15 83-85
17.	Copy of letter dated 07.07.2023 w.r.t. the details of illegal mining, transportation and storage allotted to village Ramnai and village Bhaluha by the Department of Mines.	Annexure-16 86-91
18.	Copy of Show Cause notice dated 26.05.2023 issued to Shri Santosh Sharma at village Ramnai Tehsil Raipur- Karchuliyen Distt. Rewa at khasra No. 224/1 (kha)/1, 224/1 (kha)/3, 224/1	Annexure-17 92

	(kha)/4, 224/1 (kha)/6, 224/1 (kha)/7, 224/1(kha)/11. w.r.t. violation of general condition.		
19.	Copy of lease cancellation order dated 09.08.2023 issued to Shri Santosh Sharma w.r.t .khasra No. 224/1 (kha)/1, 224/1 (kha)/3, 224/1 (kha)/4, 224/1 (kha)/6, 224/1 (kha)/7, 224/1(kha)/11.	Annexure-18	93
20.	Copy of lease allotment letter dated 30.01.2023 of M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha, Tehsil Raipur- Karchuliyan, District Rewa	Annexure-19	94-107
21.	Copy of EC letter dated 02.11.2022 of M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha, Tehsil Raipur-Karchuliyan, District Rewa	Annexure-20	108-109
22.	Copy of Consent Order dated 28.02.2023 of M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchuliyan, District Rewa	Annexure-21	110
23.	Copy of notice dated 14.06.2023 issued to M/s. Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha, Tehsil Raipur- Karchuliyan, District Rewa.	Annexure-22	111
24.	Copy of lease cancellation order dated 09.08.2023 of M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa	Annexure-23	112
25.	Copy direction letter dated 25.08.2023 issued by Department of Mines, Distt. Rewa w.r.t. conservation and rejuvenation of hills located at village Ramnai & village Bhaluha, Tehsil- Raipur, Karchuliyan, Distt.-Rewa, M.P.	Annexure-24	113
26.	Copy of LOI dated 08.10.2021 granted by Collector office (Department of mines) for the 1 ha stone mine	Annexure-25	114
27.	Details of Production details from the said mine Khasra 310 lease 5.0 acres area	Annexure-26	115
28.	SoP Notification of MoEF&CC's OM dated 7 th July, 2021	Annexure-27	116-124
29.	Act and directing payment of 100% penalty for illegal mining operations with reference to the relevant statutes as mentioned in MoEFCC's OM dated 04.07.2018	Annexure-28	125-126
30.	Copy of CTO dated 03.04.2014 of M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher)	Annexure-EC-I	127-128
31.	Copy of letter dated 12.05.2023 issued by MPPCB	Annexure-EC-II	129-131


 (P.Jagan)
 Regional Director

Joint Committee Inspection Report

Hon'ble NGT (CZ) vide its order dated 11th August, 2023 in O. A. 61/2023 (CZ) in the matter of Anupam Kumar Patel V/s State of Madhya Pradesh & Ors. has constituted a *Committee comprising (i) CPCB, (ii) Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal, (iii) Collector, Rewa and (iv) State PCB to visit the site, look into entire complaint, collect relevant information and submit fresh Report within one month.* The background and relevant extracts of the order dated 11th August, 2023 are furnished below:

The Original Application No. 166/2023 under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 was registered on a letter petition dated 07.10.2022 received from Shri Anupam Kumar Patel, Dainik Media Auditor, Press Karyalaya, Rewa, State of Madhya Pradesh for the matter related to M/s Astha Stone Crusher at village Bhaluha, Tehsil Raipur-Karchuliyan, District Rewa, State of Madhya Pradesh which is located in agricultural land within a thickly populated area, causing heavy pollution and damaging the environment as also the health of the local residents.

Taking suo motu cognizance, Hon'ble NGT Central Zone vide its order dated 24-05-2023 in this matter constituted a joint committee comprising of Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Rewa for collecting relevant information including extent of environmental damage caused and subsequently submit a factual as well as action taken report.

Not satisfied with the report of the joint committee due to confusions, superficial, and lack of detailing of entire facts, NGT Central Zone passed the following order on 11-08-2023 (enclosed at Annexure- 1), the excerpts from the order are reproduced below

“4. Joint inspection report prepared by Joint committee of Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer, MPPCB, Rewa and Mr. P.S. Tripathi, SDM, Raipur Karchuliyan, Rewa representative of Collector has been filed. It shows that illegal mining has been carried out in area and still mining leases have been granted to incumbents who are operative mines but have no consent to from State Pollution Control Board.

5. However, Report is very confusing, superficial and does not give a clear picture of the entire facts. We, therefore, find it appropriate to appoint another Committee comprising (i) CPCB, (ii) Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal, (iii) Collector, Rewa and (iv) State PCB. 6. CPCB shall be the nodal agency for compliance of this order

7. The Committee shall visit the site, look into entire complaint, collect relevant information and submit fresh Report within one month.

8. We also direct M/s. Astha Construction and Minerals (Stone Crusher) through its proprietor Shri Santosh Sharma, village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyan District Rewa; M/s. Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum, Gitty, vilage Bhula, Tehsil Raipur Karchuliya District Rewa to be implicated as respondents no. 3 and 4.

9. State of Madhya Pradesh through Chief Secretary and Collector, Rewa shall be impleaded as respondents no. 1 and 2.

10. MPPCB shall be impleaded as respondent no.5 A- 1_

11. Registry shall issue notices to all 5 respondents who may file response within two weeks after receipt of notice”

In compliance of the directions issued by the above order dated 11th August, 2023, a committee comprising of following nominated members was constituted:

S. No.	Name of Department	Name of Committee Member
1.	Representative of Regional Office, MoEF&CC, Bhopal (MP)	Dr. H.V.C. Chary Guntupalli, Scientist 'E'/Additional Director
2.	Representative of Collector, Rewa, (MP)	Sh. Shailendra Singh Additional District Magistrate, Rewa, M.P.
3.	Madhya Pradesh Pollution Control Board, Rewa, (MP)	Dr.Pushpendra Singh, Regional Officer
4.	Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal. (MP)	Sh. AadeshShrivastav Superintendent Engineer
5.	Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal, (MP)	Sh. Milind Kumar Nimje Scientist 'C'

Copies of the nominations received from different departments are enclosed at **Annexure- 2**.

CPCB being the Nodal Agency in this matter, coordinated with all the concerned departments and after preliminary discussions, it was decided to schedule the site visit on **31.08.2023**. Accordingly, a letter dated 25.08.2023 (**Annexure-2**) was issued to all the committee members and the applicant Shri Anupam Kumar Patel intimating the date of site visit. On the day of the visit, all Committee Members and other stakeholders were present and it is pertinent to mention that the complainant was also present during the said visit.

Therefore, the details of officials and applicant/petitioner present during the site visit to Stone Crusher and adjoining mines on 31.08.2023 are as follows:

- i. Dr. H.V.C. Chary, Scientist 'E' MoEF&CC, RO, Bhopal (MP)
- ii. Sh. Shailendra Singh, Additional District Magistrate, Rewa (M.P.)
- iii. Sh. Milind Kumar Nimje, Scientist-C, CPCB, Regional Directorate, Bhopal (M.P.)
- iv. Sh. AadeshShrivastava, Superintendent Engineer, MPPCB, Bhopal
- v. Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer M.P. Pollution Control Board Rewa (M.P.)
- vi. Sh. P.S. Tripathi, Sub Divisional Magistrate, RapurKarchuryanDistt: Rewa
- vii. Sh. R. K. Dixit, Mining Officer, Rewa
- viii. Sh. RoolalUikey, Tahsildar, Raipur –KarchuryanDistt: Rewa
- ix. Dr. Ashok Tiwari, Junior Scientist, MPPCB, Rewa

- x. **Sh. Anupam Kumar Patel, Applicant/Petitioner**
- xi. Sh. Santosh Sharma, M/s. Astha stone Crusher, Bhalua- Ramanai

The attendance sheet is attached as **Annexure- 3**.

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visit on 31st of August, 2023, looking into the issues raised by the Complainant and after due discussions with local stakeholders.

A. Background and Specific Issues in this matter:-

1. The applicant has mainly alleged that there is a stone crusher namely 'Astha Stone Crusher' operating illegally at village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyan District Rewa, state of Madhya Pradesh, causing heavy pollution and damaging environment.
2. The Complaint and subsequent judgements have highlighted the following concerns:

Complaint	Issues Raised
Complaint Letter Petition dated 20.10.2022 with reference to M/s Astha Stone Crusher, Village Bhaluha, Tehsil Raipur-Karchuliyan District-Rewa, M.P.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Illegal operation of M/s Astha Stone Crusher at Village Bhaluha, Tehsil Raipur-Karchuliyan District-Rewa, M.P. located in agricultural land within thickly populated area, running for the last 11 years in violation of environmental norms causing pollution and serious health hazards to local residents and damage to natural environment. 2. The said crusher had obtained lease dated 08.10.2021 by Mining Department but prior to this illegal mining of Bhaluha pahadi was carried out on 5 acre flat land of pahadi converting it totally a mine. The pahadi is a religious significance, is now on the verge of extinction due to illegal mining activities.

B. Factual Observations:-

The details of all mines and crushers associated with M/s. Astha Stone crusher along with the regulatory approvals obtained by them are tabulated at Table -1 below:

S. No.	Name & Address of Crusher/Mine	Name of lease holder & sanctioned Khasra No.	Area	Status of CTE/CTO	Status of EC	Production Capacity
1	M/s. Astha Construction & Minerals (M/s Astha Stone Crusher), Khasra No. 224/1 rakwa, Village Ramnai, Tehsil-Raipur Karchuliyar, District-Rewa, M.P.	Shri Santosh Sharma (Stone Crusher) Khasra No. 224/1	0.060 Hectare	<ul style="list-style-type: none"> Proponent applied for CTO vide letter dated 10.08.2010 and initial CTO obtained from MPPCB vide letter dated 02.11.2010 and is valid for one year from the first day of the month of commencement of production. Application for CTO renewal made vide letter dated 11.11.2013. CTO renewal issued by MPPCB vide letter dated 03.04.2014 for the period 01.02.2012 to 31.01.2015 (under Air Act). Application for CTO renewal made vide letter dated 27.09.2022. CTO renewal issued by MPPCB vide letter dated 11.11.2022 for the period from 11.11.2022 to 31.01.2025 (under Air & Water Act) Copies of all CTOs are attached as Annexure- 4.	Not Applicable	10000 MT/Year
1	M/s Astha Construction & Minerals (Mine),	(a) Shri Santosh Sharma Khasra No. 310	5.0 Acre	<ul style="list-style-type: none"> Application for CTO submitted on 18.07.2008. Initial CTO obtained from MPPCB vide letter dated 14.08.2008 for the period from 14.08.2008 to 31.01.2009 Application for renewal 	-	10000 MT/Year manual mining

		(b) Khasra No. 224/1kha/1, 224/1kha/3, 224/1kha/4, 224/1kha/6, 224/1kha/7, 224/1kha/11	1.0 Ha (Principle sanction date 08.10.2021 & Valid date 07.10.2031	of consent submitted on 11.11.2013 and the consent to operate granted by MPPCB vide letter dated 03.04.2014 for the period from 01.02.2012 to 31.01.2015 Copies attached as Annexure-5 NO	EC Issued on 06.04.2023 Copy attached as Annexure-6	4241 Cum/Year
--	--	--	---	--	--	------------------

B.1. M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher):

During the field visit of Joint Committee on 31st August 2023, it was observed that stone crusher was found closed. The said stone crusher was sealed on 04.07.2023 by the SDM, Raipur-Karchuliyan. Copy of letter is attached as **Annexure-7**.


Following are the specific observations during visit:

- a. M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher) had obtained the first Consent to Operate from Madhya Pradesh State Pollution Control Board vide letter dated 02.11.2010 and is valid for one year from the first day of the month of commencement of production. The Consent to Operate was subsequently renewed vide letter dated 03.04.2014 for the period 01.02.2012 to 31.01.2015 for three years. Again the consent to Operate was renewed vide letter dated 11.11.2022 for the period from 11.11.2022 to 31.01.2025. Copy attached as **Annexure-4**.
- b. It was noted that M/s Astha Stone Crusher is situated at village Ramnai not village Bhaluha Tehsil Raipur- Karchuliyan Distt. Rewa. Copy of Mokha Panchnama is enclosed as **Annexure-8**. As per order dated 09.07.2007, lease holder Shri Santosh Sharma has been directed to pay Rs. 4500/- as premium for the diverted land (i.e., the land on which the crusher was located) of 0.060 ha from agriculture to non-agriculture use. Copy of relevant document related with payment of premium for the diverted land

- on which crusher was located is attached as **Annexure-9**. Crusher is away from 200 meter from abadi and 600 meter away from Maa Karmasan Devi Temple. A copy of declaration letter from Patwari, Ramnai is attached as **Annexure-10**. Also, the said stone crusher was granted Letter of Intent (LOI) for 10 years for mining of 1.0 hectare area at Village Ramnai, Tehsil-Raipur Karchuliyan, District-Rewa, M.P. in the khasra number:224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11 respectively but bhupravesha was not issued by the Mining Department, Rewa to lease holder. LOI dated 08.10.2021 granted by Collector office (Department of mines) for the 1 ha stone mine is enclosed at **Annexure-25**.
- c. Based on the site inspection undertaken on 15.04.2023 and 09.05.2023, MPPCB vide letter dated 12.05.2023 issued closure direction to M/s Astha Construction & Minerals (Stone Crusher) for failure to comply with various pollution control measures and mining provisions, the details of which are mentioned below:
- i. No water sprinkling arrangement during the operation of crusher
 - ii. No permission for stocking of stone.
 - iii. Not obtaining consent for the mine
- Copy of the closure notice is attached as **Annexure-11**.



Mining Lease area of Sh. Santosh Sharma



B.2. M/s Astha Cons. & Minerals (Mines)- 5 acre lease area:

During the site visit of Joint Committee on 31st August 2023, it was observed that the 5 acre mine was non-operational. Following are the specific observations w.r.t. said 5 acre mine lease area:


- a. The lease was allotted to Shri Santosh Sharma, at village Bhaluha, khasra no. 310 rakwa 5.00 acre area by the Department of Mines, Rewa on 19.12.2003 for a period of 05 years, i.e., 19.12.2008. The said lease was further renewed on 01.06.2010 for further 05 years (i.e., up to 31.05.2015) based on the request from Shri Santosh Sharma vide letter dated 09.01.2008. Copy of initial allotment and subsequent renewal are attached as **Annexure-12**.
- b. It was noted that the first Consent to Operate was obtained from Madhya Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 14.08.2008 for the period from 14.08.2008 to 31.01.2009. The Consent was renewed vide letter dated 03.04.2014 for the period of three years, i.e., from 01.02.2012 to 31.01.2015 and copy of the Consent is attached as **Annexure-5**.
- c. As per the records furnished by the Collector office (Mining Department, District Rewa), the said mine was operational during the period 10.01.2004 to 09.01.2009 and 24.07.2010 to 23.07.2015. Copy of the communication dated 09.05.2023 from District Mining Department addressed to MPPCB is attached as **Annexure-13**.
- d. Production details from the said mine lease area as furnished by the local mining department are tabulated below: Copy Enclosed at **Annexure-26**

S.No.	Year	Production in m ³
1	2010	1000
2	2011	250
3	2012	1050
4	2013	1398
5	2014	500
6	2015	0
	Total	4198

B.3. M/s Astha Cons. & Minerals (Mines)- 1 ha lease area:

During the site visit of Joint Committee on 31st August 2023, it was observed that the 1 ha mine was non-operational. Following are the specific observations w.r.t. said 1 ha mine lease area:

- a. The mining lease was granted to Shri Santosh Sharma at village Ramnai, Tehsil-Raipur Karchuliyan, Distt-Rewa at Khasra no. 224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11 rakwa area for 01.00 hectare.
- b. After scrutiny of office records, a case of illegal mining was registered against Shri Santosh Sharma and a fine of Rs. 1.00 lac was imposed. Copy of notice issued by Mining Department, Distt. Rewa, M.P. vide letter dated 03.04.2019 is attached as **Annexure-14**. Accordingly, an amount of Rs. 1.00 lakh was deposited by Shri Santosh Sharma through Challan dated 08.04.2019.
- c. Based on the application dated 15.03.2021 of Shri Santosh Sharma, fresh lease was granted for khasra no.224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11 rakwa area 01.00 hectare by Mining Department, Distt. Rewa vide letter dated 16.05.2023, from 16.05.2023 for a period of 10 years. Copy of office order dated 16.05.2023 issued by District Mining Department, Rewa is attached as **Annexure-15**.
- d. Accordingly, M/s Astha Cons. & Minerals (Mines) obtained a fresh EC from SEIAA vide letter dated 06.04.2023. Copy of the EC dated 06.04.2023 is attached as Annexure-A6.
- e. As per the office records available at MOEFCC, RO Bhopal, the project proponent has not submitted any six-monthly compliance report. Moreover, the initial documentation like intimation to gram panchayat, advertisement in news papers regarding grant of environmental clearance in compliance of the conditions stipulated in the environment clearance dated 06.04.2023 are yet to be submitted.
- f. Till date Bhu-pravesh has not been granted by district Administration. Hence, no mining was permissible for the project proponent in the said lease area even after the grant of EC.
- g. Sapling plantation (approx. 40-50 nos.) was seen recently undertaken within the lease boundary and in the crusher area and the same needs to be further strengthened.



B.4. M/s Maa Narmada DhokaPatthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt Rewa

- The lease area with Khasra No. 310/1 (1 ha) was allotted to M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt Rewa at village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyon, District Rewa, for the period of 27.03.2023 to 26.03.2033. Copy of lease allotment letter dated 30.01.2023 is attached as **Annexure-19**.
- M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchuliyon, District Rewa, obtained EC from SEIAA on 10.01.2023 (Copy attached as **Annexure-20**).
- The firm obtained the Consent to establish order from Madhya Pradesh State Pollution Control Board on 28.02.2003 (Copy attached as Annexure-21).
- As the office records available at MOEFCC, RO Bhopal, the project proponent has not submitted any six-monthly compliance report. Moreover, the initial documentation like intimation to gram panchayat, advertisement in news papers regarding grant of environmental clearance in compliance of the conditions stipulated in the environment clearance dated 10.01.2023 are yet to be submitted.
- Till date Bhu pravesh has not been granted by district Administration. Hence, no mining was permissible by the project proponent in the said lease area even after the grant of EC.
- No greenbelt was seen in the mine lease area

B.5 Other illegal mining related activities in the surrounding area:

During the site visit, the officials of the Mines, Distt. Rewa has informed that the local people are also digging the copra material (in small amounts) from the mines for their local construction use and the same observation was made by the joint committee as well. Besides, the above said mining activities, the joint committee also observed huge mine pits around the hillock and on top of the hillock and it was informed by the mining department that the material mined out was used for

construction of highway. However, no regulatory permissions / documentation provided by the local mining authorities in support of the material mined out.

C. Action taken by various departments:

As per the records of MPPCB and District Mining Office, Rewa, following actions have been taken by various departments:

- a. MPPCB vide letter dated 12.05.2023 issued Closure direction to M/s Astha Construction & Minerals (Stone Crusher) for non-compliance with pollution control measures. Copy of the closure notice is attached as **Annexure-5**.
- b. The details of sanctioned / operational mine leases allocated in the village Ramnai and village Bhaluha along with details of action taken against illegal mining, transportation and storage of mineral in the area were provided by the Department of Mines, Distt. Rewa in the letter dated 07.07.2023 addressed to MPPCB. Copy of the said letter is enclosed as **Annexure-16**.
- c. **Action against various mine lease holders in the area:-**
 - i. Department of Mines, Rewa, M.P. had issued a Show Cause notice vide letter no. 1693 dated 26.05.2023 to Shri Santosh Sharma at village Ramnai Tehsil Raipur Karchuliyan Distt. Rewa at khasra No. 224/1 (kha)/1, 224/1 (kha)/3, 224/1 (kha)/4, 224/1 (kha)/6, 224/1 (kha)/7, 224/1(kha)/11 for violation of various general conditions. A copy of the Show Cause notice dated 26.05.2023 is attached as **Annexure-17**. However, the leaseholder not responded against this Show Cause notice issued by Department of Mines, Rewa, M.P. Accordingly, Department of Mines, Rewa, M.P. issued a lease cancellation order on 09.08.2023. A copy of the lease cancellation order is attached as **Annexure-18**.
 - ii. The lease area with Khasra No. 310/1 (1 ha) was allotted to M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt Rewa at village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyan, District Rewa, for the period of 27.03.2023 to 26.03.2033. Copy of lease allotment letter dated 30.01.2023 is attached as **Annexure-19**. M/s Maa Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum Gitty, Utkhanan Karya Vikraya Sahkari Samiti, Ramnai, Distt-Rewa at village Bhaluha,

Tehsil Raipur- Karchuliyan, District Rewa, obtained EC from SEIAA on 10.01.2023 (Copy attached as **Annexure-20**). The firm obtained the Consent to establish order from Madhya Pradesh State Pollution Control Board on 28.02.2003 (Copy attached as **Annexure-21**). As the said leaseholder has not complied with various general terms and condition of lease, the Department of Mines, Rewa, M.P. had issued a Show Cause notice vide letter no. 2016 dated 14.06.2023 for violation of general terms & condition to M/s. Maa Narmada Dhoka Patthar. Copy of Show Cause notice is attached as **Annexure-22**. However, the lease holder not responded against the said Show Cause notice. Accordingly, Department of Mines, Rewa, M.P. issued a lease cancellation order on 09.08.2023. A copy of the cancellation order is attached as **Annexure-23**.

d. For the conservation and rejuvenation of hills located at village Ramnai & village Bhaluha, Tehsil- Raipur, Karchuliyan, Distt.-Rewa, M.P. the Department of Mines, District Rewa, M.P., vide letter no. 2914 dated 25.08.2023 (Copy attached as **Annexure-24**) had issued the following direction as given below:.

- Conservation and rejuvenation of hills located at village Ramnai & village Bhaluha, Tehsil- Raipur, Karchuliyan, Distt.-Rewa, M.P.
- To ensure demarcation of private land for encroachment-free land.
- Obstruction of the kaccha rasta to prevent unnecessary movement in the hill area.
- Plantations of local species for the development of adequate green belts.

D. Assessment of Environmental Compensation:-

The penalty for non-compliance of the consent conditions and illegal activities by the M/s. Astha Stone crusher and its associated mines in the area is calculated as per the details mentioned below:

The Environmental compensation is based on the EC policy framed by the CPCB in compliance of order 31.08.2018 in O.A. 593/2017.

The joint committee based on its understanding has amount to be imposed as penalty on non-compliance of the consent conditions/ show cause notices.

The particulars defined under penalty formula are below for the area under concern i.e. stone crushers, **Raipur- Karchuliyan** Distt: Rewa

$$EC = P_i \times N \times R \times S \times L_f$$

Pollution Index for crushers: 80@ (Red Category)

N= Number of Days

Non-compliance period: The first day when consent was invalid to the last updated status on compliance

R (Rupees) :Rs. 250

S (Scale of Operation): Factor for scale of operation: 0.5

Varied based on the consented capacity@

(@ Scale of operation of stone crusher was taken as defined in CPCB) comprehensive Industry Document Series COINDS/78/2007-08 on Stone Crusher (Feb 2009)

Small scale : 3-25 TPH (factor for scale of operation is : 0.5)

Medium Scale : 25-100 TPH (factor for scale of operation is : 1.0)

Large scale : 100 TPH (factor for scale of operation is : 1.5)

The daily hours of operation of a stone crusher were taken = 10 hrs

LF (Location Factor): 1.0 (based on the population of the city/town as per the census of India falls under less than 1 Million population) Nearby city Rewa population is 2.37 lakhs (2011 census)

Total Days of operation in a year were taken = 225 days@ 19 days per month

(Note : The days of non-compliance were calculated based on maximum 225 operational days in a year).

A. The Environmental Compensation days calculation of noncompliance of M/s. Astha Stone Crusher.

S. No.	Name of the stone crusher	1st Day violation observed	Last day of Reported Status	Total Number of days of non-compliance	Remark
1.	M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher), at Village Ramnai, Tehsil-Raipur Karchuliyan, District-Rewa, M.P Proprietor Sh. Santosh Kumar Sharma,	01.02.2015 02.02.2022 03.11.2022 15.04.2023 16.06.2023	01.02.2022 02.11.2022 10.11.2022 15.06.2023 04.07.2023	1575 ---- 171 08 38 ---- 09 1801 Days	Annexure-- EC-I Annexure -- EC-II Operating Stone Crusher Without CTO of MPPCB, Rewa
The unit had seized by SDM , Raipur Karchuliyan on 04.07.2023 Annexure – A7					

Note: - 1. The date of CTO expired was consider as a first day violation observed. The last day of violation action taken by Sub Divisional Magistrate, Raipur Karchuliyan was considered.

A-1. The calculated Environmental Compensation is as tabulated below:

The Environmental Compensation liable to be paid by M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher) is calculated as under :-

S. No.	Name of the stone crusher	Environmental Compensation factors					Total EC in Rs.
		PI	N	R	S	LF	
1.	M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher), at Village Ramnai, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa, M.P Proprietor Sh. Santosh Kumar Sharma,	80	1801	250	0.5	1.0	1,80,10000/-

B. The Environmental Compensation days calculation of non-compliance of M/s Astha Cons. & Minerals (Mines- 5.0 acres)

Name of the stone Mines	1st Day violation observed	Last day of Reported Status	Total Number of days of non-compliance	Remark
M/s Astha Cons. & Minerals (Mines), 5.0 acres at Village Ramnai, Tehsil-Raipur Karchuliyan, District-Rewa, M.P Proprietor Sh. Santosh Kumar Sharma,	01.02.2009	31.01.2012	1065	Annexure – A5 Operating Mines Without CTO of MPPCB, Rewa
	01.02.2015	23.07.2015	203	
			----- 1268 Days	
(Note : The days of non-compliance of mine were calculated based on maximum 365 operational days in a year)				

Note: - 1. The date of CTO expired was consider as a first day violation observed. The last day of violation action taken by Sub Divisional Magistrate, Raipur Karchuliyan was considered.

B-1 The calculated Environmental Compensation is as tabulated below:

The Environmental Compensation liable to be paid by M/s Astha Constructions. & Minerals (Mines) 5.0 acres, is calculated as under :-

Name of the stone Mines	Environmental Compensation factors					Total EC in Rs.
	PI	N	R	S	LF	
M/s. Astha Construction & Mineral evam Mines (5.0 acres) Proprietor of Sh. Santosh Kumar Sharma, Gram & Post: Bhalua- Ramnai Tehsil: Raipur Karchliyan Distt: Rewa	80	1268	250	1.0	1.0	2,53,60000/-

(Medium Scale : 25-100 TPH (factor for scale of operation is : 1.0)

C. The Environmental Compensation days calculation of non-compliance of M/s Astha Cons. & Minerals (Mines- 1.0 ha) is furnished below:

Name of the stone Mines	1st Day violation observed	Last day of Reported Status	Total Number of days of non-compliance	Remark
M/s Astha Cons. & Minerals (Mines), 1.0 ha. at Village Ramnai, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa, M.P Proprietor Sh. Santosh Sharma,	24.07.2015	04.07.2023	2903 ----- 2903 Days	Mines operating without CTO of MPPCB, Rewa
(Note : The days of non-compliance of mine were calculated based on maximum 365 operational days in a year) The unit had seized by SDM , Raipur- Karchuliyan on 04.07.2023				

Note: - 1. The date of CTO expired was consider as a first day violation observed. The last day of violation action taken by Sub Divisional Magistrate, Raipur Karchuliyan was considered.

C-1. The calculated Environmental Compensation is as tabulated below:

The Environmental Compensation liable to be paid by M/s Astha Constructions. & Minerals (Mines) 1.0 ha. is calculated as under :-

S. No.	Name of the stone Mines	Environmental Compensation factors					Total EC in Rs.
		PI	N	R	S	LF	
1.	M/s Astha Cons. & Minerals (Mines), 1.0 ha. at Village Ramnai, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa, M.P Proprietor Sh. Santosh Sharma,	80	2903	250	1.0	1.0	5,80,60,000/-

(Medium Scale : 25-100 TPH (factor for scale of operation is : 1.0)

D. Recommendation:

1. Based on the calculations made at Bullet point A-1,B-1 & C-1, it is proposed to impose an Environmental Compensation amount for non-complying with the regulatory norms as tabulated below:

S. No.	Name of the Stone Crusher/Mines	Total EC in Rs.
1.	M/s Astha Cons. & Minerals (Stone Crusher)	1,80,10000/-
2.	M/s Astha Cons. & Minerals (Mines)-5.0Acre (2.0 hectare)	2,53,60000/-
3.	M/s Astha Cons. & Minerals (Mines)-1.0 hectare	5,80,60,000/-

2. Further, it was noted that the mining lease area of 5 acres under the purview of Shri Santosh Sharma was valid upto 31.05.2015. Further, fresh lease was granted for khasra no.224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11 rakwa area 01.00 hectare by Mining Department, Distt. Rewa vide letter dated 16.05.2023, from 16.05.2023 for a period of 10 years. However, no bhu pravesh was accorded to Shri Santosh Sharma. Thus, there is no operational mine under the direct ownership of Shri Santosh Sharma for the period between 01.06.2015 and 04.07.2023 (i.e., till the date of sealing of stone crusher). **Therefore, there is ample scope for Shri Santosh Sharma to illegally mine the adjoining 1 ha lease area during the said period.** However, Environment clearance for the 1 ha lease was obtained on 16.04.2023 despite the illegal mining noted by the SEAC in the 627th meeting on 03.03.2023. In view of the observations noted above, it appears that the instant case of 1 ha mine operation actually falls under the violation category of new projects where operations have commenced without EC. Therefore, the EC granted by SEIAA vide letter dated 16.04.2023 needs to be revoked and the case may be considered under violation category as per MoEF&CC's OM dated 7th July, 2021(Copy enclosed as Annexure-27) for imposing penalty and calculation of damage assessment as per the penal provisions reproduced below:

“1% of the total project cost incurred upto the date of filing of the application along with the EIA/EMP report +0.25% of the total turnover during the period of violation”

This penalty shall be in addition to the liability for carrying out various remedial measures, which shall be worked out based on the damage assessment for quantifying the environmental damage caused due to unauthorized project activity as per the appraisal process mentioned at Step 3 of the OM dated 7th July, 2021.


In compliance of the said OM, the quantification of the liability as per damage assessment needs to be recommended by the Expert Appraisal Committee and finalized by the regulatory authority concerned, i.e., MP SEIAA. Based on the recommendations of the MP SEIAA/SEAC, a bank guarantee (based on the outcome of damage assessment) needs to be submitted by the project proponent to MPPCB in accordance with the SOP of MOEFCC for violation cases dated 21.07.2021.

3. The District Administration is required to prevent mining within 200 meters of the religious place.
4. An adequate green belt was not found around the area. District mining authority has to initiate the development of adequate plantations from District Mineral Fund with provision of drip irrigation.
5. The Department of Mines should be vigilant for illegal mining in the near future. The department should complete the demarcation of all the lease boundaries with pillars to prevent the expansion of mining leases and the consequent illegal mining.
6. The Ramnai–Bhalua hill/pahadi may be protected through the plantation, No further mining lease may be allotted in any kind of within 100 mt. of surrounding the hill area and encroachment should be removed by the district administration. Further, if any mining lease is allotted in the hill area it should be cancelled by the Department of Mines.
7. Department of mines should measure the mining lease excavation areas and identify the material excavated and verify the permission as per mining lease quantity of material.

8. The committee also recommends that the district administration in co-ordination with the local mining department shall undertake a volumetric analysis of 1 ha lease area to arrive at the volume of the material illegally mined out by the project proponent and accordingly, implement the directions of the Hon'ble Supreme Court Order dated 02.08.2017 in WP (Civil) No. 114 of 2014 wherein vide judgment dated 02.08.2017 has passed a detailed order interpreting Section 21 (5) of MMRD Act and directing payment of 100% penalty for illegal mining operations with reference to the relevant statutes as mentioned in MoEFCC's OM dated 04.07.2018 (Enclosed as **Annexure-28**).



Sh. Milind Kumar Nimje
Scientist 'C'
Central Pollution Control Board
Regional Directorate, Bhopal, (M.P.)




Dr. Pushpendra Singh,
Regional Officer
Madhya Pradesh Pollution Control
Board, Rewa, (M.P.)



Sh. Aadesh Shrivastava
Superintendent Engineer
Madhya Pradesh Pollution
Control Board, Bhopal. (M.P.)



Sh. Shailendra Singh
Additional District
Magistrate,
Rewa (M.P)



Dr. H.V.C. Chary Guntupalli,
Scientist 'E'/Additional Director
Regional Office, MoEF&CC,
Bhopal (MP)

Photographs
NGT case O.A. 61/2023 (CZ)
Date of Inspection 31st August 2023



Joint committee site visit at Bhaluha Raipur Karchuliyan with applicant Sh. Anupam Kumar Patel & owner of M/s Astha Stone Crusher at Village Bhaluha-Ramnai





Top over view of Mines at RamnaiPahadi



Side over view of Mines at BhaluaPahadi



Side over view of BhaluaPahadi



Plantation done by SDM & Panchyat



Over View of Mines cutting behind M/s. Astha Stone Crushers, Ramani-Bhalua



View of Mining Lease area of Bhalua- Ramnai



Top View of mining area



Side view of mining area



M/s. Astha Stone Crusher, Ramani- Bhalua



M/s. Astha Stone Crusher, Ramnai- Bhalua sealed by SDM, Karchuliyana, Distt. Rewa



View of Plantation near Mata Karmasan Mandir, Ramnai




View of Mata Karmasan Mandir at Bhalua- Ramnai Pahadi, Mandir






Discussed with Local Villager of Bhalua- Ramnai with petitioner Sh. Anupam Kumar Patel during visit of Joint Committee on 31.08.2023



Google view Map during Joint Committee visit at Bhalua-Ramnai Ta: Raipur-Karchuriyan Rewa



Google view Map during Joint Committee visit at Bhalua- Ramnai Ta: Raipur-Karchuriyan Rewa

Annexure-1

Item No.05

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL**

(By Virtual Mode)

Original Application No.61/2023(CZ)
(Original Application No.166/2023-PB)
(I.A.No.68/2023)

Anupam Kumar Patel

Applicant(s)

Versus

State of MP & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 11.08.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s) : None

For Respondent(s): Mr. Sachin K. Verma, Advocate State of M.P.
and BMC
Ms. Parul Bhadoria, Advocate for MPPCB
Mr. Chandra Mohan Thakur, Member Secretary,
MPPCB
Ms. Pratibha Pal, DM, Rewa

ORDER

1. This Original application was registered *suo-moto* on a letter petition dated 07.10.2022, alleging that there is a stone crusher namely 'Astha Stone Crusher' operating illegally at village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyan District Rewa, State of Madhya Pradesh, causing heavy pollution and damaging environment. Tribunal found it appropriate to constitute a Joint Committee to submit a factual Report. Joint Committee comprised of State Pollution Control Board and District Magistrate, Rewa vide order dated 24.05.2023.

A-1

2. However, when matter was taken up on 26.07.2023, since Report was not submitted, hence, Tribunal directed Collector, Rewa and Member Secretary, MPPCB to appear in person.
3. Today both are present.
4. Joint Inspection Report prepared by Joint Committee comprised of Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer, MPPCB Rewa and Mr. P.S. Tripathi, SDM, Raipur Karchuliyan, Rewa, representative of Collector has been filed. It shows that illegal mining had been carried out in area and still mining leases have been granted to incumbents who are operating mines but have no consent from State Pollution Control Board.
5. However, Report is very confusing, superficial and does not give a clear picture of the entire facts. We, therefore, find it appropriate to appoint another Committee comprising (i) CPCB, (ii) Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal, (iii) Collector, Rewa and (iv) State PCB.
6. CPCB shall be the nodal agency for compliance of this order.
7. The Committee shall visit the site, look into entire complaint, collect relevant information and submit fresh Report within one month.
8. We also direct M/s. Astha Construction and Minerals (Stone Crusher) through its proprietor Shri Santosh Sharma, village Bhalua, Tehsil Raipur Karchuliyan District Rewa; M/s. Narmada Dhoka Patthar, Patiya, Murum, Gitty, village Bhula, Tehsil Raipur Karchuliya District Rewa to be impleaded as respondents no. 3 and 4.
9. State of Madhya Pradesh through Chief Secretary and Collector, Rewa shall be impleaded as respondents no.1 and 2.
10. MPPCB shall be impleaded as respondent no.5.

11. Registry shall issue notices to all 5 respondents who may file response within two weeks after receipt of notices.

I.A.No.68/2023:

12. Since Smt. Pratibha Pal, Collector Rewa is present, this application has rendered infructuous. Dismiss accordingly.

13. List this case on 26.09.2023.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 11, 2023
Original Application No.61/2023(CZ)
(Original Application No.166/2023-PB)
MK



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओ.ए.- 61/2023(CZ)/452
 प्रति,

दिनांक : 25 अगस्त, 2023

Most urgent
 NGT Case

उप-वन महानिदेशक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल-462016	माननीय कलेक्टर महोदय कलेक्टर कार्यालय रीवा- 486001	सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल-462016
--	--	---

विषय: **NGT OA No. 61/2023(CZ) "Anupam Kumar Patel Vs. State of Madhya Pradesh & Ors."** को पारित आदेश के अनुपालनार्थ स्थल निरीक्षण बाबत।

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 11.08.2023 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा 04 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-भोपाल, जिला कलेक्टर-रीवा, तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। उपरोक्त संयुक्त समिति हेतु सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:-

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, रीवा
2. डॉ. एच.वी.सी. चारी, वैज्ञानिक-ई, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-भोपाल
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., रीवा
4. श्री मिलिन्द कुमार निमजे, वैज्ञानिक-ग, के.प्र.नि.बो., भोपाल

उपरोक्त संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 31/08/2023 समय प्रातः 10.30 बजे निर्धारित किया गया है। अतः निर्धारित तिथि पर ग्राम भलुआ, तहसील-रायपुर, -करचुलिया, जिला-रीवा में सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

भवदीय,

(पी. जगन)
 क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, रीवा
2. डॉ. एच.वी.सी. चारी, वैज्ञानिक-ई, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-भोपाल
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., रीवा
4. श्री मिलिन्द कुमार निमजे, वैज्ञानिक-ग, के.प्र.नि.बो., भोपाल
5. श्री अनुपम कुमार पटेल, रीवा-आवेदक

की ओर सूचनार्थ तथा संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएवीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार"

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030



एन.जी.टी. आवश्यक

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
एन.जी.टी. 100-101, नैहक नगर, रीवा (म.प्र.)
Tel / Fax : (07562) 230605 E-mail : ropch-riwa@mp.gov.in

क्रमांक / 1145 / क्षेत्र / तक / प्रनिबो / 2023

रीवा, दिनांक 23/8/23

प्रति,

अपर कलेक्टर
जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 61/2023 अनुपम कुमार पटेल
विरुद्ध स्टेट आफ़ म.प्र. व अन्य में पारित आदेश को अनुपालनार्थ।

संदर्भ - 1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्रमांक 926 दिनांक 21.08.2023।
2. कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 23.08.2023 को दिये गये मौखिक निर्देश।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है, कलेक्टर मैडम रीवा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 61/2023 में आपको कलेक्टर की ओर से नामांकित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतएव एन.जी.टी. आदेश दिनांक 11.08.2023 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र संलग्न है।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
रीवा, दिनांक 23/8/23

प्र.क्र. / 1146 / क्षेत्र / तक / प्रनिबो / 2023

प्रतिलिपि -

- कलेक्टर मैडम रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री पी जगन क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 61/2023 में कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में श्री शैलेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर होंगे। अतएव श्री शैलेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर रीवा से मो.न. 7428210431 पर मान. एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 61/2023 के संबंध में चर्चा की जा सकती है, कृपया सूचनार्थ।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रीवा (म.प्र.)



A-2



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



कमांक 2506 विधि: NGRCZY/विधि/23
प्रति

भोपाल, दिनांक 25 AUG 2023

श्री आदेश श्रीवास्तव
अधीक्षण यंत्री, (आइजिओ प्रभारी)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल।
विषय :- माननीय एनजीटी सेन्ट्रल वेब द्वारा प्र.क्र. 61/2023 (अनुपम कुमार पटेल विलड
मध्यप्रदेश शासन) में दिनांक 11.03.23 परीर आदेश के अनुपालन बाबत।

उपरोक्त विषयसम्बन्धित नमजोटी एनजीटी सेन्ट्रल वेब द्वारा प्र.क्र. 61/2023 में दिनांक 11.08.23
के पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है : (प्रति संलग्न)

We, therefore, find it appropriate to appoint another Committee comprising

- CPCB,
- Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal,
- Collector, Rewa and
- State PCB.

CPCB shall be the nodal agency for compliance of this order.

The Committee shall visit the site, look into entire compliance, collect relevant information and submit fresh Report within one month.

माननीय एनजीटी द्वारा दिनांक 11.08.2023 को संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें
सदस्य सदस्य म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री आदेश
श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री, आइजिओ प्रभारी (मोजे- 9425358257) उपरोक्त समिति में सदस्य
समाहित किया जाता है।

अन्य आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण हेतु दिनांक
31.08.2023 समय प्रातः 10.30 बजे प्रातः मन्डू, बरहली-रामपुर-करहोसिया, जिला-रेवा में
उपस्थित होने का कष्ट करें। (संलग्न -केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र)
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक प्राधिकारी द्वारा आदेशित

MW
25.8.23

इंजीनियर पर्यावरण(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

प्रतिलिपि :-

- श्री एलेक्स सिंह, अपर कलेक्टर, रीवा को भेजा जाएगा।
- डी.एच.वी.सी. धार, वैज्ञानिक-ई, प्रयोग प्रयोग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय-भोपाल, की ओर सूचनाएं।
- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, अर्वाय, अर्वाय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा
की ओर सूचनाएं।
- श्री निरिन्द कुमार निमजो, वैज्ञानिक-ई, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, की ओर
सूचनाएं।
- श्री अनुपम पटेल, सहायक अधिकारी, अर्वाय, अर्वाय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, की ओर
सूचनाएं।

182/2023/2023

Email

Milind Kumar Nimje

A-2

Fwd: Compliance of order dated 11.08.2023 in O.A.No.61/2023 titled as Anupam Kumar Patel Vs State of Madhya pradesh & Ors.

From : HVC Chary Guntupalli <rowz.bpl-mef@nic.in>

Thu, Aug 24, 2023 11:55 AM

Subject : Fwd: Compliance of order dated 11.08.2023 in O.A.No.61/2023 titled as Anupam Kumar Patel Vs State of Madhya pradesh & Ors.

2 attachments

To : Pentani Jagan <cpcb.bhopal@gov.in>, cpcb bhopal <cpcb.bhopal@gmail.com>, Collector REWA <dmrewa@mp.gov.in>, ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, it mppcb <it_mppcb@rediffmail.com>, Milind Kumar Nimje <milind07.cpcb@gov.in>, poulamichakrabortyp@gmail.com

महोदय,

नई आवती दिनांक 17.08.2023 की प्राप्ति **Registrar -NGT, Bhopal** (ngtczbbho-mp@gov.in) के ई-मेल द्वारा हुई है जिसमें **OA NO.61/2023(CZ)** के सन्दर्भ में आदेश दिनांक 11.08.2023 का पालन किये जाने बावत् आदेश की प्रति को संलग्नकर प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के संबंध में माननीय अधिकरण द्वारा परित आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय से (डॉ. एच.वी.सी. चारी गुंटुपल्ली) वैज्ञानिक "ई" को कमेटी हेतु नामांकित किया जाता है। उन्हें निम्न जानकारी पर संपर्क किया जा सकता है -

मोबाइल क्र- 9990517580

ई-मेल आई डी - hvc.chary@nic.in

Regional Office
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
Bhopal, Madhya Pradesh
(O) 0755-2466525
(F) 0755-2463102

From: "Registrar NGT, CZB, Bhopal" <ngtczbbho-mp@gov.in>

To: "Pentani Jagan" <cpcb.bhopal@gov.in>, "cpcb bhopal" <cpcb.bhopal@gmail.com>, "HVC Chary Guntupalli" <rowz.bpl-mef@nic.in>, "Collector REWA" <dmrewa@mp.gov.in>, "ms msoffice" <ms-mppcb@mp.gov.in>, "it mppcb" <it_mppcb@rediffmail.com>

Sent: Thursday, August 17, 2023 11:19:40 AM

Subject: Compliance of order dated 11.08.2023 in O.A.No.61/2023 titled as Anupam Kumar Patel Vs State of Madhya pradesh & Ors.

Sir,

Please find herewith attached copy of Petition and order dated 11.08.2023 in O.A.No.61/2023 titled as Anupam Kumar Patel Vs State of Madhya Pradesh & Ors. for necessary action and compliance at your end.

A-2

Please acknowledge receipt.

शुभकामनाओं सहित / *with regards,*

Judicial Section

राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ *National Green Tribunal,*

मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ/ *Central Zone Bench,*

तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन/ *3rd Floor, State Information Commission Building,*

अरेरा हिल्स, भोपाल-462011/*Arera Hills, Bhopal -462011*

संपर्क नंबर 07552575680 / *Contact no.07552575680*



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

-
- Anupam Kumar Patel 61-2023.pdf
77 KB
 - Org Application No. 61 of 2023 Pg. 1-13.pdf
17 MB
-

Recip^M 123293/2023

A-2



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 2457 विधि/ NGT(CZ)/प्रनिबो/23
प्रति

भोपाल, दिनांक

22 AUG 2023

1. कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
रीवा
2. क्षेत्रीय निर्देशक
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरेरा कॉलोनी
रविशंकर नगर, भोपाल-462016
3. क्षेत्रीय निर्देशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निर्देशालय (मध्य),
परिवेश भवन, पर्यावरण परिसर
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -462016

विषय :- माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्र.क. 61/2023 (अनुपम कुमार पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में दिनांक 11.08.23 पारित आदेश के अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बेंच द्वारा प्र.क. 61/2023 में दिनांक 11.08.23 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है। (प्रति संलग्न)

However, Report is very confusing, superficial and does not give a clear picture of the entire facts. We, therefore, find it appropriate to appoint another Committee comprising (i) CPCB, (ii) Integrated Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal, (iii) Collector, Rewa and (iv) State PCB.

CPCB shall be the nodal agency for compliance of this order.

The Committee shall visit the site, look into entire complaint, collect relevant information and submit fresh Report within one month.

बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (मो.नं-8226023925) को उपरोक्त समिति में सदस्य नामांकित किया गया है। कृपया आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि को नामांकित कर समय-सीमा (01 माह) के पूर्व रिपोर्ट रजिस्टार, माननीय अधिकरण, भोपाल बेंच, के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध है, ताकि माननीय अधिकरण के आदेश का पालन हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि समिति से समन्वय कर 01 माह के पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

Gopal
MKN(SC)







Annexure-3

क्षेत्रीय निदेशालय, (मध्य)
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर,
भोपाल-462016

Hon'ble NGT Case OA 61/2023 Anupam Patel Vs State of MP & Ors.
Field Visit Attendance Sheet
Date: 31 August, 2023

S. No.	Name	Designation	Contact No.	E-mail Id	Signature
1.	Sh. Shailendra Singh Rep. Collector, Rewa	ADM			
2.	Dr. H.V. C. Chary, Rep. MoEF&CC, Bhopal	Scientist "E"			
3.	Dr. Pushpendra Singh (Rep. of SPCB)	Regional Officer MPPCB, Rewa			
4.	Sh. Milind Kumar Nimje Nodal of CPCB, RD- Bhopal	Scientist 'C'	9424440007	milind07.cpcb@gov.in	
5.	Anupam Ku. Patel	Applicant	9425134702 7000950162	orientalamupam@gmail.com	Anupam
6.	Santosh Sharma		7849053381	Jivohsharmanusse@gmail.com	
7.	P. S. Tripathi	S. D. M.	9425185783		

S. No.	Name	Designation	Contact No.	E-mail Id	Signature
	RE Dixit	Mining officer	9425358289		
	Ashish Singh	Sales MPP13	9425358237		
	Roopdr Sikhey	T.I. Receptor	9425358286		
	Ashok Tiwari	Jr Scientist RD mpp13	9165724144		

Annexure-4

E/TS/4/RO/MPPCB/No. 261

Rewa, Dated: 02/11/10

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 HIG-190, NEHRU NAGAR COLONY, REWA 486001 (M.P.)

532-RO/MPPCB/TECH/2010

Rewa, Dated: 02/11/10

M/s. Astha Stone Crusher
 (Prop. Shri Santosh Sharma)
 Village.-Ramnai Tah. Raipur Karchulian
 District - Rewa (M.P.).

- b.- Consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
 Your application No. Nil, dated 10.08.10.

With reference to your application for consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the consent to operate is hereby granted for One year from first day of the month of commencement of production subject to the fulfillment of following terms and conditions:

This consent is valid for establishment and operation of stone crusher unit at Kh.No. 224/Arakwa 02 Acre, at vill -Ramnai, Tehsil- Raipur Karchulian District -Rewa.

This consent is valid for product and production capacity of:

Product Production capacity
Stone Gitti --- 10,000 MT /Yr.(Ten thousand Metric Tone per year only)

Industry shall inform the start of production at least one month in advance.
 Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification before commissioning of production

- Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit.
- Construction of wind breaking walls of sufficient height.
- Construction of the metalled road with in the premises.
- Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
- Growing of the green belt along the periphery.

The suspended particulate matter measured between 0.3 mtrs. and 10 mtrs. from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 µg /m³ (Six hundred microgram per cubic meter). and shall ensure that the ambient air quality at the boundary of the factory premises, conform to the following limits :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Suspended Particulate Matter(10micron) | - 100 Microgram/ Cu. meter |
| b. SO ₂ | - 80-do- |
| c. NO _x | - 80-do- |
| d. CO | - 5000 |

contd. 2

A-4

- (C)
6. The suspended particulate matter measured between three mtrs. and ten mtrs. from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Six hundred microgram per cubic meter).
 7. Industry shall submit six monthly ambient air quality monitoring report to the Board
 8. The industry shall do extensive tree plantation in and around the factory premises for improvement of the environment in general.
 9. Industry shall make pucca approach road to factory, make boundary wall of sufficient height around the premises and install water spraying system for control of fugitive air pollution.
 10. Industry shall have to submit environment statement as per provisions of environment (Protection) act, 1986 for the previous year ending 31st. March on or before 30th Sept. every year to the Board.
 11. The industry shall take proper action to control the noise pollution. The noise level shall not exceed the limit 75 dB[A] during the day and 70 dB[A] during the night.
 12. Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.
 13. Board reserves the right to amend /cancel above conditions as and when deemed necessary.

This consent is valid for the stated period and has to be renewed every year. An application in this regard with annual license fee & point wise compliance of the consent conditions shall reach this office 4 months before the expiry of this consent.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M P Pollution Control Board


(C.P. KHARE)

REGIONAL OFFICER

M.P. Pollution Control Board Rewa

Annexure - 4

AGN No. 25022 Dated 25/3/14

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
HIG. PRENETHRI NAGAR, REWA (M.P.) 486001.

RO-MPPCB/TECH/1013

Rewa, Date 03/4/14

M/S. Astha Construction & Minerals (Stone Crusher)

Prop. Shri Santosh Sharma

Vill. Bhaluha, Tah. Raipurkarchulian

Distt- Rewa (M.P.)

Subj.: Renewal of Consent of the Board u/s 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981.

Ref.: Your application No.66564 Dated 11.11.13

With reference to your above application, the consent of the Board U/S. 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 is hereby renewed for the period of three years from 01.02.12 to 31.01.15 subject to the fulfillment of terms and conditions incorporated in the consent letter No.2532/RO/MPPCB/TECH/N/10 Rewa dt.02.11.10 issued to you by this office with additional conditions mentioned below:

(1). This consent is valid for product and production capacity of:

Stone Gitti - 10000 M.T./Year (Ten Thousand Metric Tones Per Year only)

ADDITIONAL CONDITIONS

- (1) Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification with in **03 months from the date of issue of this letter.**
- (a) Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit.
 - (b) Construction of wind breaking walls of sufficient height.
 - (c) Construction of the metalled road with in the premises.
 - (d) Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
 - (e) Growing of the green belt along the periphery.
- (2). The suspended particulate matter (SPM) measured between 03 mtrs. and 10 mtrs. from any process equipment of the stone crusher unit shall not exceed 600 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- (3). Industry shall submit ambient air quality monitoring report to the board once in six months.
- (4). Industry shall have to submit environmental statement as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 for the year ending 31st march every year on or before 30th September to the Board.
- (5). Any change in process, raw materials, production capacity, capital investment etc. shall be informed to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M.P. Pollution control board

Gallu
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa

HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa

(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

RED-SMALL

CCA-Renewal

VALIDITY (A/W):31/01/2025

CONSENT NO:

PCB ID-16939

Outward No:-15304,11/11/2022

Consent No:AW-106616

To,

The Occupier,

M/s Astha Construction & Minerals Stone Crusher, Category: Red/Small

Khasra. No. 224/1 Rakwa – 0.060 Hector ,

Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchuliyan, Distt - Rewa, (MP).

Subject: Renewal of Consent under section 25(5) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 .

Ref: Your renewal of Consent Application Receipt No. 1233652 Dt. 27/09/2022 .

With reference to your above application renewal of consent is here by granted up to 31/01/2025 subject to the fulfillment of the terms & conditions ,incorporated in the schedule of the consent issued to you by the Board vide consent /(CCA Operate) no:-AW-645/RO/MPPCB/TECH/dated 03/04/2014. along with the additional conditions mentioned below:

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Khasra. No. 224/1 Rakwa – 0.060 Hector Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchuliyan, Distt - Rewa (M.P.)
Mobile No.7049053381. Latitude- 24.5602 Longitude- 81.4119.
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 15.0
- c. Product & Production Capacity:

Product	Production Capacity
1. Stone Gitti	10,000.00 MT / Year (Ten Thousand MT /Year Only)

Note – 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 31/01/2025 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Regional Officer
MPPCB-Rewa

Signature Not Verified

Digitally Signed by :

PUSPENDRA SINGH,S.E.

Date: 11/11/2022 02:31:10 PM

PUSHPENDRA SINGH
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # ID49RDY4GG



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa

HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa

(E-mail: ropcb-rewa@mp.gov.in & rewa_pcb@rediffmail.com)

A-4

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.0 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.500 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	10 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	10 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 3.0	WWG : 0.000	Water Source	Remark
1	Other Water Discharge	2.00	0.00	Bore well	
2	Domestic.....	1.00	0.50	Bore well	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devlovement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent sh. be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. Compilation of Monitoring-

- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications ar.3 when it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

7. Recording of Monitoring-

- The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

Consent No:AW-106616



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa

HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa

(E-mail: mpcb-rewa@mp.gov.in & torewa_pcb@rediffmail.com)

A-4

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

8. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

9. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

10. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

11. Disposal of Collected Solid-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

12. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

13. Prohibition of By pass system-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

14. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipment's as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Consent No: AW



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa

HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa

(E-mail: ropcb Rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

A-4

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a	Particulate Matter (less than 10 micron) (PM ₁₀ µg/m ³ 24 hrs. basis)	100 microgram/ m ³
b	Particulate Matter (less than 2.5 micron) (PM _{2.5} µg/m ³ 24 hrs. basis)	60 microgram/ m ³
c	Suspended Particulate matter (between 3 to 10 meters)	600 microgram/ m ³
d	Sulphur Dioxide [SO ₂] (24 hrs. Basis)	80 microgram/ m ³
e	Nitrogen Oxides [NO _x] (24 hrs. Basis)	80 microgram/ m ³
f	Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis)	2000 microgram/ m ³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the board.
- To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent/authorization is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorize any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

Conser

A-4



Consent Order

MP. Pollution Control Board – Rewa
 HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
 (E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

6. Balance consent/authorization fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorization
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
- Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions & time the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:- (if any) :-

S. No	Nos. of Plants to be planed	Targeted Time	Nos. of Plants Planted in compliance of consent conditions	details of action taken (if consent condition is not complied)
1.	10	03Month	50	Na

- Industry shall make appropriate air pollution control equipment's at jaw crusher /vibrator / screen / rotary screen chamber & Water sprinkling System for wetting of ground within premises.
- At the end point of dust conveyor belt , industry shall installed the telescopic chute .
- It shall be ensured that these are always kept in running and in good working order all the time.
- Industry shall make Wind breaking wall of 15 ft. height around Industry premises. Green belt should be developed around the crusher .
- Good housekeeping practice shall be adopted and all the internal metallic roads shall be made.
- PP shall insure that SPM measured between 3-10 meters away from any process equipment of stone crushing unit shall not exceed 600µg/M³.
- If PP failed to comply above conditions so that consent should treated as null & void.

(Regional Officer)

(Signature)

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
 TPAV # ID49RDY4GG

(Signature)

PUSHPENDRA SINGH
 Regional Officer

Co

1616

Annexure-5

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
HIG-190, NEHRU NAGAR, KEWA-486001 (M.P.)

SECRETARY'S OFFICE NO. 197 Rewa, Dated: 14-8-08

3014/RO/MPPCB/TECH/2008

Rewa, Dated: 14.8.08

M/s Aastha Cons. & Minerals (mines)
(Prop. Shri. Santosh Kumar Sharma)
V/P. Bhaluha Rannai Th Raipur Kurehulion
Distt-Rewa (M.P.).

- Consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- Your application No. 17.07.08 received this office at 18.07.08

With reference to your application for consent of the Board under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the consent to operate for mining activity is hereby granted and annually renewed valid up to 31-01-2009, subject to the fulfillment of following terms and conditions.

This consent is valid for establishment and operation of mine at Kh.No.310 & 224 Ka/2 Rewa 5.0 Acre, Vill. Bhaluha Th. Raipur Kurehulion Distt-Rewa (M.P.). for following activity and production

<u>Product</u>	<u>Production capacity</u>
Annual mining of Stone Gity	---10000 M.T./ Year (Ten Thousand Metric tones per year) only

adequate & effective air pollution control equipments shall be installed at all points of sources of emission and shall insure their efficient working all the time. In case of failure some alternative arrangement be made.

emissions during excavation of minerals, its handling/ transportation and from all other sources should be controlled effectively and monitored. Water spraying arrangement on roads, leading unloading points should be provided and properly maintained.

ensure that the concentration of particulate matter from point source emission shall not exceed 1.50 mg/Nm³

air quality at the boundary of the mine premises shall conform to the following limits:

SPM ₁₀	200	Microgram/cubic meter
SPM _{2.5}	150	- do -
SO ₂	120	- do -
NO ₂	120	- do -

proper action to control the noise pollution. The noise level shall not exceed 70 dBA during the day and 70 dBA during the night.



A-5

(2)

- 6. Industry shall submit six monthly ambient air quality monitoring report to the Board.
- 7. Extensive tree plantation preferably of local species shall be done within and around the mining lease area. The mine shall adopt good house keeping practice.
- 8. The submission of environmental statement by the mine management who seek consent under Environment and water Act and authorization under Hazardous Waste Rules 1989(amended in 2003) has been made mandatory under Environmental (Protection) Rules 1986. As per this provision, such mine management shall submit the statement for the period ending 31st month or before 30th September every year to the board.
- 9. Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.
- 10. Board reserves the right to amend/cancel above conditions in part or as a whole as and when deemed necessary.
- 11. This consent is valid for the stated period and has to be renewed yearly. An application in this regard with annual license fee & point wise compliance of the consent conditions shall reach office 4 months before the expiry of this consent.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M P Pollution Control Board

(Signature)
 (C.P. KHARE)
 REGIONAL OFFICER
 MP.POLLUTION CONTROL BOARD
 REWA

A-5

M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

FORM - 1 FOR AIR CONSENT

(See Rule 13)

(To be submitted in Duplicate)

CCA-Renewal - 66560 (DRAFT COPY)APPLICATION FOR CONSENT FOR EMISSION/CONTINUATION OF EMISSION UNDER SECTION 21 OF THE AIR
(PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION ACT, 1981)

Date : 11/11/2013

PCB-ID : 21247

From : ashtha Cons. & Minerals Stone Mine
(Office Address) PLOT/PHASE No. Kha 310, 224/2,
 Vill Bhaluha Th. Raipurkarchulian,
 Vill Bhaluha - 486001
 DIST : Rewa, TAL : Raipur, SIDC : Not In SIDC

To,
The Member Secretary,
 M.P. Pollution Control Board
 E-5, Arera Colony
 Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

I/we hereby apply for consent / renewal of consent under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981
 to establish / operate / the industrial plant / plants owned by ashtha Cons. & Minerals Stone Mine

to be located / located at

**PLOT/PHASE No. Kha 310, 224/2, Vill Bhaluha Th. Raipurkarchulian Vill. Bhaluha Th.
 Raipurkarchulian, Vill Bhaluha - 486001 DIST : Rewa, TAL : Raipur, SIDC : Not In SIDC**

The relevant details are as under :

1. Full name of the applicant with designation and address and Telephone /Telex number / Fax No. : **Santosh Sharma**
2. Names of full time directors / partners / owners with address and telephone nos. : **As per Annexure 21247_dir**
3. Full address of the factory / industrial plant/s (Survey No. Village plot No. location premises etc.) with telephone / telex Nos/ Fax No. : **ashtha Cons. & Minerals Stone Mine,
 PLOT/PHASE No. Kha 310, 224/2, Vill. Bhaluha Th. Raipurkarchulian,
 Vill Bhaluha - 486001
 DIST : Rewa, TAL : Raipur, SIDC : Not In SIDC**
4. Date of commission of industrial plant/s or proposed date of commissioning : **01/02/2010**
5. Plant/ project cost (Rs. in lakhs) : **8**
- 5A. Specify whether small, medium or large scale. : **Red - Small**
6. Total number of employees : **4**
7. List of Raw materials with monthly consumption rate (MT/month)
- 7A. List of Products with monthly production rate (MT/month)

Sr	Product Name	NOC Qty	CCA Qty	Applied Qty	Dispersion Through
1	Stone Boulder	10000.000	10000.000 - MET	10000.000	

AIR

1 - Through XGN

E | G

A-5

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16, MP

FORM - 1 FOR AIR CONSENT

(See Rule 13)

(To be submitted in Duplicate)

7B. Brief description of the manufacturing process together with a flow diagram and layout plan showing location of all vents, stacks and any other emission points. As per the PDF attached

8 & 9. Details of Boilers / Heaters / Furnaces / Generators installed in the plant.

Process emissions

10. Details of air Pollution control equipment for the control of Pollution resulting from emission of pollutants from process plant and combustion equipment.

Boilers=0, DG Sets=0, Borewells = 1, Tubewells: 0, Capacity of AH= 1.0 H.P.

12. I/We further declare that information furnished through this application is correct to the best of my / our knowledge.

13. Declaration

(i) I/We hereby submit that in case of any change relating to manufacturing process / product, fuel emission rate pollution control equipment, capacity of the plant etc. fresh application for consent shall be made and until such Consent is granted, no change will be implemented.

(ii) I/We undertake to furnish any other information within one month of such intimation received from the Board.

(iii) I/We enclose here with Bank Draft No. ---

& date : 11/11/2013 for Rs : 8000 (In words : Eight Thousand Rupees Only)

14. I/We hereby agree to submit to the Board, application for renewal of Consent atleast one month prior to the date of expiry of the present consent period.

Pay Remark :

In favour of the M.P. Pollution Control Board E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP as fees payable under section 25 of the Act.

Inward Purpose :

for renewal of consent

Other Information :

(Please refer to Schedule I for the rate of consent fees.)

Details of Applicant :

Santosh Sharma

Plot/Phase No. Kha 310, 224/2,

Vill Bhaluha Th. Raipurkarchulian Vill. Bhaluha Th.

Raipurkarchulian,

Vill Bhaluha - 486001

DIST : Rewa, TAL.: Raipur, SIDC : Not In SIDC

9229218590

Authentic Signature

संतोष शर्मा

Yours faithfully

Accompaniments :

A-5

M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Parvavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

FORM - I FOR AIR CONSENT

(See Rule 13)

(To be submitted in Duplicate)

I / We have Uploaded the following PDFs				
	Date	# Files	Size(kb)	#Page
1 LPD - Land Possession Documents	11/11/13	0	1264	2
2 MEM - Member of CETP / TSDF ? Certificate		0	0	0
3 SSI - SSI-IEM-C.A Certi		0	0	0
4 UNT - Undertaking of Non Applicability of Air/Water/Haz		0	0	0
5 ANN - Annual Return : Form 4		0	0	0
6 APC - Air Pollution Control Measures-Details		0	0	0
7 C&A - Previous Consent-Reject / CCA Order / NOC Order		0	0	0
8 ENV - Environment Statement , Form-V , 5 Pgs		0	0	0
9 ETP - ETP Details+Diagram		0	0	0

A-5

M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

FORM-D

[See Rule 20 and rule 21]

CCA-Renewal - 66560 (DRAFT COPY)

Application for consent to establish or take any step to establish any Industry, operation process or any treatment and disposal system for discharge, under section 25 or continuation or discharge under section 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974.

Date : 11/11/2013

PCB-ID : 21247

From : ashtha Cons. & Minerals Stone Mine
 (Office Address) PLOT/PHASE No. Kha 310, 224/2,
 Vill Bhaluha Th. Raipurkarchulian,
 Vill Bhaluha - 486001
 DIST : Rewa, TAL : Raipur, SIDC : Not In SIDC

To,
 The Member Secretary,
 M.P. Pollution Control Board
 E-5, Arera Colony
 Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

DRAFT

I/We hereby apply for consent/renewal of consent under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 (6 of 1974) to establish or take any step to establish any Industry or operation or process or a treatment and disposal system or any extension or addition to bring into use any new altered outlet for discharge of sewage/trade effluent* to continue to discharge sewage/trade effluent* from land/premises owned by ashtha Cons. & Minerals Stone Mine

The other Relevant details are as below.

1. Full name of the applicant : **Santosh Sharma**
2. Nationality of the applicant : **INDIAN**
3. Constitution Type : **No Data**
4. Names, Address and Telephone Nos of Applicant : **Santosh Sharma (9229218590)**
5. Address of the industry. (Location of unit) : **ashtha Cons. & Minerals Stone Mine, PLOT/PHASE No. Kha 310, 224/2, Vill. Bhaluha Th. Raipurkarchulian, Vill Bhaluha - 486001 DIST : Rewa, TAL : Raipur, SIDC : Not In SIDC**
6. Details of Commissioning etc : **01/02/2010**
7. Total number of employee expected to be employed. : **4**
8. Details of license, if any obtained under the provisions of Industrial Development Regulation Act., 1951 :

*Strike out which is not relevant.

Water



11/11/13

A-5

M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP

FORM-D

[See Rule 20 and rule 21]

9. Name of the person authorised to sign this form (the original authorization except in the case of individual proprietor concern is to be enclosed.) : **Santosh Sharma**

10.(a) List of Raw materials with monthly consumption rate (Monthly Data)

(b) List of Products with monthly production rate (Monthly Data)

Sr	Product Name	NOC Qty	CCA Qty	Applied Qty	Inspection Remark
1	Stone Boulder	10000.000	10000.000 - M.T	10000.000	

(c) Licence or Annual Capacity of the industry, operation or process etc.

11 & 12. State daily quantity of water in kilolitres utilized and its source (domestic / industrial process boiler Cooling others)

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 1.500	WWG : 0.300	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	0.500	0.000	Borewell	
2	Spray in Mines	1.000	0.000	Borewell	

13. State the daily maximum quantity of effluents, quantity and mode of disposal (sewer or drain or river of land or lake / pond / or estary / tidal waters / sea water / Off share) Also attach analysis report of the effluent.
Type of effluent, quantity in kiloliters, Mode of disposal.

(i) Domestic : Water Consumption : 0.500 Kls/Day, Waste Water Generation : 0.300 Kls/Day

(ii) Industrial : Water Consumption : 1.000 Kls/Day, Waste Water Generation : 0.000 Kls/Day

Mode of Disposal : Industrial : Zero Discharge, Domestic : Soak Pit

Ultimate Receiving Body : Drain

Waste Wtr Discharge Pt : No

Source of water Supply & permission obtained/Applied for : Borewell

(b) Quality of effluent Currently Discharged or expected to be discharged

(c) what monitoring arrangement is currently provided or Proposed.

13A. State whether you have any treatment plant for industrial, domestic or combined effluents.

Whether Industry is a member of CETP? NOT

Boilers=0, DG Sets=0, Borewells = 1, Tubewells: 0, Capacity of All = 1.0 H.P.

13B. If yes, attach the description of the process of treatment in brief. Attach information on the quality of treated effluent vis - a vis the standards. State Details of solid wastes generated in the process or during waste treatment.

14. State details of solid wastes. Generated From process and during waste treatment.

Sr	Solid Waste Description	Qty/Unit	Method of Disposal	Method of Collection
1	Dust	100.000-M.T	LAN,OTH	LIP,OTH

Strike out which is not relevant.

Water



Annex-5

XGN-No.25023 Dated 25/3/14

REGIONAL OFFICE
M.P.POLLUTION CONTROL BOARD
HIG-190, NEHRU NAGAR, REWA (M.P.) 486001.

No. 644 /RO/MPPCB/TECH/E/2013
To,

Rewa, Date 03.4.14

M/S. Astha Construction & Minerals (Stone Mine)
(Pro. Shri Santosh Sharma)
Vill.-Bhaluha, Th.-Raipur karchulian
Dist.-Rewa (M.P.)

Sub.: Renewal of Consent of the board under section 25/26 of Water (Prevention & control of Pollution) Act 1974.

Ref.-Your Application No. 66560 Dated 11.11.2013

With reference to your above application, the consent of the Board u/s 25/26 of Water (Prevention & control of Pollution) Act 1974 is **hereby renewed for three year from 01.02.2012 to 31.01.2015** subject to the fulfillment of terms and conditions incorporated in the consent letter No.1232./RO/MPPCB/TECH/EN/11, Rewa dt.08.06.11 issued to you by this office with additional conditions mentioned below :-

This renewal of consent is valid for operation of mine at **Kh.No.310,224 ka/2, Rakwa 5.0 Acre.** at **Vill-Bhaluha, Tah- Raipur karchulian, Distt.-Rewa,** for following mining capacity :

**Manual Mining of --10000 M.T./Yr.(Ten Thousand Metric Tones per year only)
Stone Boulder**

02. ADDITIONAL CONDITIONS

- The Industry shall complete & effectively implement effluent treatment & management system .
- Industry shall have to install measuring arrangement for consumption of water as per Water cess rules 1977.
- Industry shall have to submit environmental statement as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 for the year ending 31st march every year on or before 30th September to the board.
- Industry shall take proper action for management and disposal of solid waste.
- Industry shall develop green belt and improve the house keeping with in the premises.
- Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above, prior permission of the Board shall be obtained.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the

M.P. Pollution control board

[Signature]
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)

Annex 5

XGN-No.-25023 Dated 25/3/14

REGIONAL OFFICE
M.P.POLLUTION CONTROL BOARD
 HIG-190, NEHRU NAGAR, REWA (M.P.) 486001.

No. 643/RO/MPPCB/TECH/E/2013

Rewa, Date 03.4.14

To.

M/S. Astha Construction & Minerals (Stone Mine)
 (Pro. Shri Santosh Sharma)
 Vill.-Bhaluha, Th.-Raipur karchulian
 Dist.-Rewa (M.P.)

Sub.: Renewal of Consent of the Board under section 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981.

Ref.: Your Application No. 66560 Dated 11.11.2013

With reference to your above application, the consent of the Board u/s 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 is hereby renewed for three year from 01.02.2012 to 31.01.2015 for mine subject to the fulfillment of terms and conditions incorporated in the consent letter No.2594 /RO/MPPCB/TECH/EN/08, Rewa dt.14.08.2008 issued to you by this office with additional conditions mentioned below :-

This renewal of consent is valid for operation of mine at Kh.No.310,224 ka/2, Rakwa 5.0 Acre. at Vill-Bhaluha, Tah- Raipur karchulian, Distt.-Rewa, for following mining capacity :

Manual Mining of --10000 M.T./Yr. (Ten Thousand Metric Tones per year only)
 Stone Boulder

02. ADDITIONAL CONDITIONS

- Mine shall have to implement the air pollution control measures at all sources of fugitive emission.
- Mine shall submit air quality monitoring report to the board annually .
- Mine shall have to submit environmental statement as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 for the year ending 31st march every year on or before 30th September to the board.
- Mine shall improve the house keeping with in the premises.
- Mine shall made approach road metallic to minimize fugitive dust emission .
- Any change in process, raw material used, production capacity, capital investment etc. shall be intimated to the Board. For any enhancement of above, prior permission of the Board shall be obtained.


Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
 M.P. Pollution control board

[Signature]
 Regional Officer
 M.P. Pollution Control Board Rewa
 Rewa (M.P.)

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), MADHYA PRADESH)

To:

The DIRECTOR
SANTOSH SHARMA
VILLAGE BHAIUHA, TEHSIL RAIPUR-KARCHULION DISTRICT REWA
(M.P.) - 486114

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/401884/2022 dated 14 Nov 2022. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP184028
2. File No.	9441/2022
3. Project Type	New
4. Category	B
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	RAMNAI CRUSHER STONE QUARRY
7. Name of Company/Organization	SANTOSH SHARMA
8. Location of Project	MADHYA PRADESH
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 06/04/2023

(e-signed)
Shri. Mujeeb-ur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)


*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

आदेश

Annexure-7

आज दिनांक 04/07/2023 को गांव रामनई तह. रायपुर करि
 प्लॉट. 224/ब/करका - 02.ख. भोजपुर स्थापित क्षेत्र में भाला
 एरान क्षेत्र जो. संतोष शर्मा का संयुक्त रूप से मण्डलिकारी,
 अधिकारी राजलव मंगवा, खेतीप अधिकारी म.प. विद्यालय
 बोर्ड सेवा, खनिज अधिकारी सेवा, नामव लहलीलादा रायपुर करि
 द्वारा निरीक्षण किया गया। व उक्त क्षेत्र को भालापी
 आदेश तह. अ. क्षेत्र का लालक संवकद कर अ. क्षेत्र सुविष्ट
 को खोल किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन
 करने पर दृढात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।


 मण्डलिकारी अधिकारी राजलव
 मंगवा


 खेतीप अधिकारी
 म.प. विद्यालय बोर्ड
 सेवा


 खनिज अधिकारी
 सेवा


 04/07/2023
 नामव लहलीलादा
 रायपुर करि

उपरोक्त दिनांक 31/08/2023 को माननीय NGA. Case NO
 OA-G/2023 अनुष्मपट्टे वार्ड एस्टेट एमपी एंड एस के
 पारित आदेश के परिपालन में संयुक्त जंच समिति श्री अलोटेडिंग
 सपर कलेक्टर सीआ, डा. एच.वी.सी.वारी वैज्ञानिक "ई", डां प्रोफेसर
 अशोक अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री मिलिंद कुमार निमजे
 वैज्ञानिक "ग", अनुष्म कुमार पट्टे सप्लेड, सतोष कुमार धर्मि सगोठेड
 श्री पी.बी. शिपाठी अनुविधानीय अधिकारी राजव रायपुर केर, आरके.
 अश्विनात खनिज अधिकारी सीआ, श्री आदेश श्रीवास्तव, श्री शारदा
 प्रताप प्रजापति नायब तहसीलदार, फरवारी हल्का व किमीडिया के
 लवला पत्रकार सगण व अन्य ग्रामीण जनो की उपस्थिति पर
 ग्राम अलुहा रजिस्ट्रार व खनिज लीज का नॉक आउटिंग
 विभागेण जो बंद किया गया तथा र्व की गयी अंतर लीज
 प्रभावत किये गये। संच पर कोई खदान खानित नहीं है। संचि
 विहित अनुष्मपत्रनामा के लिए किया हलाकर कुराये गए।

[Signature]
 31/08/2023

[Signature]
 31/8/23
 आदेश श्रीवास्तव
 अश्विनात मंत्री

[Signature]

[Signature]
 ADM

[Signature]
 SDM 31.8.23

GHWachay 31/08/2023
 M&EC
 Ra Bhopal
 सतोष अश्विनात

[Signature]
 Heminiy
 Redresh Dixit
 Leey
[Signature]
 सतोष अश्विनात

[Signature]
 MPPCB
 31/8/2023



Annexure-10

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / 357 / प्रवाचक / 2023

रायपुर कर्चु 0 दिनांक 19/07/23

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला-रीवा (मध्यप्रदेश)

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 166/2023 के संबंध में वांछित जानकारी दिये जाने विषयक।

संदर्भ: आपका कार्यालयीन पत्र पृ0क्रमांक 874/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2023 रीवा दिनांक 10.07.2023।

//00//

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 166/2023 में पूर्व में प्रेषित जानकारी अनुसार सरल क्रमांक-11 में पट्टेदार के पट्टे की अवधि एवं पर्यावरण स्वीकृति एवं सरल क्रमांक 12 में पट्टेदार की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी चाही गई है।

उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन नायब तहसीलदार वृत्त पहडिया से मंगाया गया। नायब तहसीलदार वृत्त-पहडिया तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा हल्का पटवारी रामनई द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मूलतः अग्रोषित किया गया है। अतः उक्त जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ मूलतः संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र: उपरोक्तानुसार 06 पन्ने।


अनुविभागीय अधिकारी
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा

प्रतिवेदन पर्यटन - रातनई कृत पहाडिया तहसील रायपुर कचुं विला - रीवा

प्रति,

नाथल तहसील शाह महोदय

कृत - पहाडिया, तहसील - रायपुर कचुं रीवा

Amru-10

अनुपम फेल विला (1)

19.07.2022

विषय:- माननीय एन. जी. टी. प्रकरण क्रमांक 166 / 2023, अनुपम फेल विला के सर्वे में दिनांक 04/7/2023 को ग्राफ रातनई, मलुका में किया गया संयुक्त निरीक्षण के संबंध में चाही गयी जानकारी।

महोदय, विषयानुसार के संबंध में खिंडवा निम्न है -

1. उक्त के संबंध में दल्ला परवादी रातनई, मलुका द्वारा संयुक्त जांच की गयी।
2. मौके से आस्था स्टेन क्लेस के प्रोवाइटर - सन्तोष पिता राजमणि शर्मा व अन्य ग्राफ काफी उपस्थित रहे। जांच दिनांक को क्लेस बन्द पाया गया। सन्तोष शर्मा व अन्य द्वारा बताया गया कि क्लेस कई वर्षों के बन्द है।
3. क्लेस व लीज प्राप्त भूमियों का नक्सी नक्शा स्थल पंचनामा में विस्तारित कर बनाया गया है। क्लेस आ.नं. $\frac{224/1/1/2}{8.810}$ में स्थित है।
4. लीज की भूमि नम्बर 224/1/2/1, 224/1/2/3, 224/1/2/6, 224/1/2/7, 224/1/2/11 है। भूमि नम्बर 224/1/2/4 ईश्वरडीठ पाल की है जिसे भूमिस्वामी की सहमति सन्तोष शर्मा को प्राप्त है।
5. उक्त भूमियों में उत्तरनिपट्टा कार्पोलम कलेक्टर (खनिज शाखा) से दिनांक 29/12/2021 से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। सन्तोष शर्मा द्वारा यह भी बताया गया भू-प्रवेश न होने से उत्तरन का कार्य स्वीकृत दिनांक से शुरू नहीं किया जा सका है।
6. स्थल जांच में जो खतन किया गया पाया गया उक्त संबंध में

उपस्थित व्यक्तियों द्वारा जानकारी न होने की बात बतायी। कि ऐसा किके द्वारा किया गया है।

7. आस्था स्टोन क्रेश्ट आबादी कस्ती के लगभग 200 मीटर इट, रोमनड पहाडी मन्डिर (देवी जी का) से लगभग 600 मीटर इट स्थित है।
8. ग्राम रोमनड-मलुआ में पहाडी क्षेत्र में लीज का आवंटन, प्राप्ति, एवं समाप्ति के संबंध में सूझ-तांझ की गयी लेकिन स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।
इसे खनिज विभाग से प्राप्त कला ज्यादा उचित होगा।
इसी प्रकार अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।
9. स्थल जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम मलुआ में क्रेश्ट चालू नहीं है।


संलग्न

कामालप कलेक्टर सप्तरी
खनिज शाखा का पत्र उत्खनिपट्टा
का स्वीकृत पत्र।

A. K. Thakur
पट्ट रोमनड
14/7/2023

आज दिनांक 12/7/2023 को हल्का पट्टारी राफर्द, मलुआ द्वारा संन जी. प्रकरण क्रमांक 166/2023 अनुपम पटेल विरुद्ध के प्रकरण में नापथ तहसीलदार हुत पट्टिया के निर्देशांकाल मौजे के जांच हेतु उपस्थित हुके।

मेराफे आस्था स्टोन क्रेशर, राफर्द में स्थित है जो गिटीसठा दिनांक को बंद पाया गया। क्रेशर मालिक सन्तोष शर्मा पिता राजमणि शर्मा व उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि क्रेशर कई वर्षों के बन्द है।



उत्पन्न पट्टा/लीज की जानकारी लेने पर पाया गया कि क्रेशर मालिक सन्तोष शर्मा को 224/1/2/1, 224/1/2/3, 224/1/2/4 (भूमिकामी इशरत जीन द्वारा महेपति प्राप्त), 224/1/2/6, 224/1/2/7, 224/1/2/11 भूमि में लीज प्राप्त है। क्रेशर के आबारी बस्ती लगभग 200 मीटर है। क्रेशर के मन्दिर की लगभग दूरी 600 मीटर है। लीज के बन्द होने में आस्था क्रेशर के मालिक द्वारा बताया गया कि उक्त गलतियों में लीज 10 वर्ष हेतु 29/12/2021 को स्वीकृत हुयी है लेकिन भू प्रवेदन होने के उत्पन्न कार्याय नहीं किया गया है। सूक्ष्म-तांछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम मलुआ में क्रेशर चालू नहीं। लीज इत्यादि के बारे में अन्य जानकारी स्पष्ट रूप में प्राप्त नहीं हो सकी। उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर निम्नांकित हैं।

सन्तोष शर्मा
राजेश्वर उपाध्याय
गौरी सिंह

सुरेश शर्मा
गामडजागर प्रजापति

[Signature]
जय राम
12/7/2023
12-7-2023



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 559 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2023

रीवा, दिनांक 12/05/23

प्रति,

में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर
(प्रो. श्री संतोष शर्मा)
ग्राम -भलुहा, तहसील - रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश।

संदर्भ :- 1. दिनांक 15.04.2023 एवं 09.05.2023 को किया गया निरीक्षण।
2. बोर्ड द्वारा जारी सम्मति पत्र दिनांक 11.11.2022
3. उद्योग का पत्र दिनांक 12.05.2023

यह कि आपके द्वारा में में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर का संचालन ग्राम-भलुहा तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालन किया जा रहा है एवं :-

1. बोर्ड द्वारा आपको सम्मति नवनीकरण प्रदत्त किया गया था।
2. इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आपको प्रदत्त सम्मति नवीनीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. स्टोन क्रेशर में निम्न उल्लंघन पाया गया :-
 1. उद्योग को जल छिड़काव की व्यवस्था का संचालन नहीं पाया जाना।
 2. गिट्टी पत्थर की भंडारण की अनुमति न होना।
 3. खदान के लिये बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करना।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं :-

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।



Annex - II

3. आपके द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है, आप स्टोन केसर को डीजल इंजन से चला रहे हैं, उसे स्थल से तत्काल हटायें।
4. म.प्र. खनिज संसाधन विभाग से भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधा खनिज विभाग से दी से दी गई है, तत्काल प्रभाव से की जावें।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी एवं यह जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, कृपया सूचित हो।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 21/5/23

पृ.क्रमांक / 559 B / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2023

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए स्टोन केसर संचालक द्वारा डीजल इंजन से स्टोन केसर का संचालन करते रहे अतएव तत्काल प्रभाव से डीजल इंजन जप्त किया जावे।
3. खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि खदान के पास बोर्ड की अनुमति न होना ना ही भंडारण की अनुमति पाई गई इस प्रकार पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए आपके विभाग से दी गई सुविधा स्थगित करने का कष्ट करे।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)

: 2 :

07. पट्टा निष्पादन के पूर्व खनिज से संबंधित स्मार्त प्रकाश रखाया जाएगा, यदि कोई भी, जमा करना होगा।
08. पट्टा विलेख का निष्पादन इस आदेश के तीन माह के भीतर प्राप्त 7 में किया जावेगा तथा निष्पादन पट्टा धारक को सीमांकन भारतीय राजस्व स्वीकरण अधिनियम 1908 का 16 के अधीन किया जावेगा। यदि उक्त कालावधि में ऐसे अधिलेख का निष्पादन नहीं कराया जाता है तो स्वीकृत आदेश प्रति संश्लिष्ट किया गया समझा जावेगा।
09. स्वीकृत खदान क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग की उपस्थिति में तथा वन विभाग की उपस्थिति में तबसील रायपुर द्वारा कराया जावेगा। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार द्वारा अपने व्यय से सीगैन्ट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जायेंगे। मुनारे स्थापित कराये जाने पर, खनिज विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण उपरान्त मुनारे सही पाये जाने पर ही ठेकेदार को खदान का कब्जा दिया जावेगा।
10. खदान का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त, उत्खनि पट्टाधारी, न्यायालय कलेक्टर से म०१० म०२० संहिता 1959 ई० की धारा 247(5) के अन्तर्गत भू प्रवेश कर, कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करेगा। इसके पश्चात् ही खनिज पत्थर के परिवहन हेतु ड्राइंग पास, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
11. उत्खनि पट्टाधारी को म०१० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (14) के अनुसार सम्पूर्ण हटाये जाने वाले खनिज की टायल्टी अग्रिम जमा करने के उपरान्त ही, सक्षम अधिकारी द्वारा ड्राइंग पास जारी किया जावेगा।
12. खनिज पत्थर की बिक्री सिर्फ गिदटी के रूप में ही की जा सकेगी। पत्थर के बिक्री नहीं की जावेगी।
13. यांत्रिक क्रिया द्वारा गिदटी बनाने हेतु क्लार की स्थापना अनुबंध निष्पादन के 6 माह के अंदर करनी होगी।
14. स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उत्खनि पट्टाधारी का होगा। यदि आसपास के क्षेत्र में अधिक उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना, उत्खनि पट्टाधारी द्वारा खनिज अधिकारी व वन माहलानीधिकारी को देना होगा।

क्रम... 3...

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला रीवा म0प्र0

आदेश

रीवा दिनांक: 1-6-2010

कमांक/73/खनि/2010

श्री0 संतोष कुमार शर्मा तनय श्री राजमणि शर्मा

निवासी ग्राम भलुहा पो0 रामनई तह0 रायपुरकर्चु0 जिला-रीवा म0प्र0

विषय: जिला रीवा के तहसील रायपुरकर्चु0 ग्राम भलुहा के ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0 क्षेत्र पर नवकरण आवेदन गौण खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए) उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2008

.0.0.0.

आपके द्वारा जिला रीवा के तहसील रायपुरकर्चु0 ग्राम भलुहा के ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0 क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए) उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2008 को प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनों की अनुशंसा के आधार पर शासकीय भूमि पर आवेदक के नाम म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 6 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न शर्तों पर उत्खनिपट्टा (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए पत्थर) हेतु स्वीकृत किया जाता है।

1. आवेदक का नाम व पता:-

श्री0 संतोष कुमार शर्मा तनय श्री राजमणि शर्मा

निवासी ग्राम भलुहा पो0 रामनई

तह0 रायपुरकर्चु0 जिला-रीवा म0प्र0

ग्राम भलुहा तहसील रायपुरकर्चु0 जिला रीवा

ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0

3. अवधि:-

5 वर्ष (पांच वर्ष) ढाई मीटर की गहराई तक

4. रायल्टी, डेडरेंट आदि-म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय-समय पर की गई दर संशोधन के अनुसार देय होगी।

5. स्वीकृत खदान क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग वन विभाग की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील रायपुरकर्चुलियान द्वारा कराया जावेगा। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार द्वारा अपने व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर कमबार नम्बर डाले जाएंगे। मुनारे स्थापित

Annex-12

कराये जाने पर खनिज विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत मुनारे सही पाये जाने पर ही ठेकेदार को खदान का कब्जा दिया जायेगा।

6. खदान का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात उत्खनि पट्टाधारी को म०प्र० भू-रा० संहिता 1959 ई० की धारा 247 (5) के अंतर्गत भू प्रवेश कर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही खनिज पत्थर के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
7. उत्खनि पट्टाधारी को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (14) के अनुसार संपूर्ण हटाये जाने वाले खनिज की रायल्टी अग्रिम जमा करने के उपरांत ही, सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांजिट पास जारी किया जावेगा।
8. स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में 2 कि०मी० की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उत्खनन पट्टाधारी का होगा, यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उत्खनन पट्टाधारी द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी रीवा को तत्काल देनी होगी।

अतः आपको उपरोक्त शर्त मान्य हो, तो आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर स्वीकृत क्षेत्र का अनुबंध निष्पादन एवं पंजीयन कराकर कब्जा प्राप्त करें। समयवधि के भीतर अनुबंध पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन न करने पर पट्टा स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

खनिज अधिकारी
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म०प्र०

पृ० क्रमांक/73 / खनि/2010

रीवा दिनांक: 1-6-0/10

प्रतिलिपि:-

- 1 वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा म०प्र०।
- 2 अनुविभागीय अधिकारी तह० रायपुरकर्चुलियान जिला रीवा।
- 3 खनिज निरीक्षक तहसील रायपुरकर्चुलियान को सूचनार्थ।
- 4 ग्राम पंचायत भलुहा तह० रायपुरकर्चुलियान को सूचनार्थ।

o/c

खनिज अधिकारी
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म०प्र०

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला रीवा म0प्र0

आदेश

क्रमांक 773 / खनि / 2010
पति

रीवा दिनांक: 1-6-06

श्री0 संतोष कुमार शर्मा तनय श्री राजमणि शर्मा

निवासी ग्राम भलुहा पो0 रामनई तह0 रायपुरकर्चु0 जिला-रीवा म0प्र0

विषय: जिला रीवा के तहसील रायपुरकर्चु0 ग्राम भलुहा के ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0 क्षेत्र पर नवकरण आवेदन गौण खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए) उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2008

.0.0.0.

आपके द्वारा जिला रीवा के तहसील रायपुरकर्चु0 ग्राम भलुहा के ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0 क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए) उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2008 को प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनों की अनुशंसा के आधार पर शासकीय भूमि पर आवेदक के नाम म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 6 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न शर्तों पर उत्खनिपट्टा (यांत्रिकी क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिए पत्थर) हेतु स्वीकृत किया जाता है।

1. आवेदक का नाम व पता:- श्री0 संतोष कुमार शर्मा तनय श्री राजमणि शर्मा
निवासी ग्राम भलुहा पो0 रामनई
तह0 रायपुरकर्चु0 जिला-रीवा म0प्र0
2. ग्राम का नाम:- ग्राम भलुहा तहसील रायपुरकर्चु0 जिला रीवा
ख0नं0 310 रकवा 5.00 ए0
3. अवधि:- 5 वर्ष (पांच वर्ष) ढाई मीटर की गहराई तक
4. रायल्टी, डेडरेंट आदि-म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय-समय पर की गई दर संशोधन के अनुसार देय होगी।
5. स्वीकृत खदान क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग वन विभाग की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील रायपुरकर्चुलियान द्वारा कराया जावेगा। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार द्वारा अपने व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जाएंगे। मुनारे स्थापित

Annex-12

- कराय जाने पर खनिज विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत मुनारे सही पाये जाने पर ही ठेकेदार को खदान का कब्जा दिया जायेगा।
6. खदान का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात उत्खनि पट्टाधारी को म०प्र० भू०-रा० संहिता 1959 ई० की धारा 247 (5) के अंतर्गत भू प्रवेश कर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही खनिज पत्थर के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
 7. उत्खनि पट्टाधारी को म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (14) के अनुसार संपूर्ण हटाये जाने वाले खनिज की रायल्टी अग्रिम जमा करने के उपरांत ही, सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांजिट पास जारी किया जावेगा।
 8. स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में 2 कि०मी० की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उत्खनन पट्टाधारी का होगा, यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है, तो उत्खनन की सूचना उत्खनन पट्टाधारी द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी रीवा को तत्काल देनी होगी।

अतः आपको उपरोक्त शर्त मान्य हो, तो आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर स्वीकृत क्षेत्र का अनुबंध निष्पादन एवं पंजीयन कराकर कब्जा प्राप्त करें। समयावधि के भीतर अनुबंध पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन न करने पर पट्टा स्वमेंव निरस्त समझा जावेगा।

खनिज अधिकारी
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म०प्र०

रीवा दिनांक: 1-6-2010

पृ० क्रमांक/73 / खनि/2010

प्रतिलिपि:-

- 1 वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा म०प्र०।
- 2 अनुविभागीय अधिकारी तह० रायपुरकर्चुलियान जिला रीवा।
- 3 खनिज निरीक्षक तहसील रायपुरकर्चुलियान को सूचनार्थ।
- 4 ग्राम पंचायत भलुहा तह० रायपुरकर्चुलियान को सूचनार्थ।

खनिज अधिकारी
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म०प्र०

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा

E-mail:- modgurew@mp.gov.in

क्रमांक /1554 / खनिज / 2023
प्रति,

रीवा, दिनांक 09/05/2023

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

रीवा (म0प्र0)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रं. 27/2023 (सी.जेड.), श्री अनुपम पटेल विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में जानकारी देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. 499/2023 रीवा दिनांक 04/05/2023।

---XXX---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स आस्था स्टोन माईनिंग ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को प्रदत्त की गई लीज के संबंध में तथा उसका द्वारा किये गए अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को ग्राम भलुहा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.क्रं 310 रकबा 05.00 एकड अवधि. 10.01.2004 से 09.01.2009 एवं अवधि. 24.07.2010 से 23.07.2015 तक स्वीकृत थी। ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.क्रं 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 01.000 हे0 क्षेत्र में सैद्धांतिक सहमति पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को प्रदान की गई है।

कार्यालयीन दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त ग्राम रामनई में अवैध उत्खनन का प्रकरण श्री संतोष शर्मा के पक्ष में पंजीबद्ध किया जाकर रुपये 100 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूल किया गया है उपरोक्त के अलावा अन्य शिकायत कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है।

वांछित जानकारी सादर सम्प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/23/खनिज/2019
प्रति,

रीवा, दिनांक 03/04/2019

Annexure-14

संतोष शर्मा
पिता राजमणि शर्मा
निवासी भलुछा तह. रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय:- अवैध उत्खनन प्रकरण में प्रशमन राशि जमा करने विषयक।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा ग्राम रामनई तह0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.क. 224/1ग में खनिज मुरुम का अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा जांच के दौरान अवैध उत्खनन होना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसपर खनि निरीक्षक द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के उल्लंघन म नियम 53 (5) के तहत कार्यवाही कर प्रकरण तैयार किया गया था।

जिस पर खनिज मुरुम का अवैध उत्खनन का प्रकरण न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 25/03/2019 के कारण बताओं सूचना पत्र जारी की गई। जिसमें आपके द्वारा दिनांक 26/03/2019 को जबाब प्रस्तुत कर आप से संबंधित खनिज उत्खनन के संबंध में प्रशमन राशि जमा करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। जिसपर कलेक्टर महोदय द्वारा सुनवाई के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत जबाब पर भविष्य में उक्त कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर प्रशमन राशि रूपये 1,00,000 /- (एक लाख रूपये) जमा कराते हुए प्रकरण का निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रशमन राशि तत्काल खनिज मद में जमा कराकर चालान की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित)

प्रभारी अधिकारी खनिज

हेतु, कलेक्टर, जिला-रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 03/04/2019

क्रमांक/23/खनिज/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0) को ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी खनिज

हेतु, कलेक्टर, जिला-रीवा (म0प्र0)

Cyber Treasury

14
A-14

Treasuries & Accounts
Department of Finance
Govt. of MP


CYBER TREASURY

 Department of Finance, Government of Madhya Pradesh Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment to M.P.State Government	
TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment/Registration No. : VOLVO-EC210B	Depositor/Dealer Name : SHRI SANTOSHI SHARMA SO SHRI Address : RAJMANI SHARMA BHALUHA TEH. RAIPUR KARCHULIYAN DISTT. REWA REWA, Madhya Pradesh
Head of A/c details : 0853-00-800-0278	Concern Period : From Date: null To Date: null
Name of Bank : State Bank Of India	District Name : REWA
Bank Scroll No. : 34876	Bank Scroll Date : 08042019
Date and time of Transaction : 08/04/2019 17:00:00	
Amount : 100000	Amount in words : One Lakh Only.
Challan Identification No(CIN) : SBIN000615908530804201934876	
Bank Reference No(BRN) : IK00ZWRRQ4	
Cyber Receipt No. (CRN) : MPT085308042019000107	
Treasury Challan number : 08533092	
Note: Challan search facility is available at www.mptreasury.org	

Print & Save

Close

[Citizen Charter](#) | [Codes/Rules](#) | [DDO Help](#) | [Useful Links](#) | [FAQ](#) | [Circulars/Notifications](#) | [Download](#) | [About us](#) | [Home](#)
[My Area](#) | [Events](#) | [Feedback](#) | [Guest Book](#) | [Cyber Treasury](#) | [Reports](#) | [Unique Sanction No.](#) | [Challan Search](#) | [Web Prompt](#) | [Help Desk/Grievances](#)

Copyright, 2004. All right reserved with Directorate of Treasuries & Accounts, Govt. of M.P.
 Design:  Developed by: CMC Limited.

 **SBTKiosk**
 32811978
 Rewa (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा Annexure - 14

229

E-mail:- modgurew@mp.gov.in

क्रमांक/1584/खनिज/2023
प्रति,

रीवा, दिनांक 09/05/2023

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रीवा (म0प्र0)



विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण कं. 27/2023 (सी.जेड.), श्री अनुपम पटेल विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में जानकारी देने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र कं. 499/2023 रीवा दिनांक 04/05/2023।

---XXX---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स आस्था स्टोन माईनिंग ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को प्रदत्त की गई लीज के संबंध में तथा उसके द्वारा किये गए अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को ग्राम भलुहा तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.कं 310 रकवा 05.00 एकड अवधि. 10.01.2004 से 09.01.2009 एवं अवधि. 24.07.2010 से 23.07.2015 तक स्वीकृत थी। ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख.कं 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 01.000 हे0 क्षेत्र में सैद्धांतिक सहमति पट्टेधारक श्री संतोष शर्मा को प्रदान की गई है।

कार्यालयीन दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त ग्राम रामनई में अवैध उत्खनन का प्रकरण श्री संतोष शर्मा के पक्ष में पंजीबद्ध किया जाकर रुपये 1.00 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूल किया गया है उपरोक्त के अलावा अन्य शिकायत कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है।

वांछित जानकारी सादर सम्प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

2
15/5

25

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा (म.प्र.)

E-mail:- modgurew@mp.gov.in

क्रमांक / /खनिज / 2023

रीवा, दिनांक.....

::आदेश::

Annexure-15

प्रति,

श्री संतोष शर्मा
आत्मज श्री राजमणि शर्मा
निवासी - भलुहा पोस्ट रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म0प्र0)

विषय :- जिला रीवा तहसील रायपुर कर्चुलियान ग्राम भलुहा के खसरा कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र (निजी भूमि) पर खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021।

---XXX---

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के खसरा कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र (निजी भूमि) पर खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में आवेदक के पक्ष में आवेदित क्षेत्र 02.114 हे0 में से रकवा 01.000 हे0 उपलब्ध पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र कं. 5917 दिनांक 08.10.2021 द्वारा आवेदक को अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। जिसके अनुपालन में राज्य सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार आवेदक द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 29.12.2021 को अनुमोदित होकर कार्यालय में प्राप्त हुई है। राजस्व, वन, ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदनों/सम्मति की अनुशंसा के आधार पर एवं कार्यालयीन मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदित उपलब्ध क्षेत्र रकवा 01.000 हे0 में म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 18(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्न शर्तों पर खनिज पत्थर (यांत्रिक क्रिया के द्वारा गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया जाता है :-

1. आवेदक का नाम व पता :- श्री संतोष शर्मा आत्मज आत्मज श्री राजमणि शर्मा
निवासी - भलुहा पोस्ट रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म0प्र0)
2. ग्राम व नाम :- ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के खसरा कं.
224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6,
224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 01.000 हे0
3. अवधि :- 10 वर्ष (दस वर्ष)

कमशा :.....02

स्वीकृत किये गए उत्खनिपट्टा के संबंध में म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों एवं म०प्र० राजपत्र दिनांक 23.03.2013 तथा दिनांक 22.01.2021 के अनुदेशों के अतिरिक्त निम्नानुसार शर्तें अधिरोपित की जाती हैं :-

1. शोध क्षमता पत्र एवं विधिक स्टाम्प में प्रति भूबंध- पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।
2. फर्म के वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों के नियम पालन करने हेतु विधिक स्टाम्प (नोटरी द्वारा प्रमाणित) पर पृथक-पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वीकृत उत्खनिपट्टे के संदर्भ में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 247(5) के तहत खनन कार्य प्रारम्भ करने हेतु भू-प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना।
4. स्वीकृत उत्खनिपट्टे के संदर्भ में म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.03.2013 एवं संशोधन नियम दिनांक 22 जनवरी 2021 समय-समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्रोप्त करना होगा।
5. रायल्टी, डेडरेण्ट आदि म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एवं शासन द्वारा समय-समय पर की गई दर संशोधन के अनुसार देय होगी।
6. आपके विरुद्ध यदि कोई खनिज बकाया राशि है तो उसे अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत क्षेत्र के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण होने पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत खदान क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग, वन विभाग की उपस्थिति में तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा कराया जावेगा। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार द्वारा अपने व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जाएंगे। मुनारे स्थापित कराये जाने पर खनिज विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत मुनारे सही पाये जाने पर ही ठेकेदार को खदान का कब्जा दिया जायेगा।
9. उत्खनिपट्टाधारी को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (14) के अनुसार सम्पूर्ण हटाये जाने वाले खनिज की रायल्टी अग्रिम जमा करना होगा। वर्तमान में ई-ट्रांजिट पास प्रक्रिया के अनुसार अभिवहन पास जारी किये जायेंगे।
10. स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में 02 कि.मी. की परिधि के वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व उत्खनन पट्टाधारी का होगा, यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है,

क्रमशः3

तो उत्खनन की सूचना उत्खननपट्टाधारी द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी रीवा को तत्काल देना होगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत क्षेत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

11. म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.03.2013 एवं संशोधन नियम दिनांक 22 जनवरी 2021 में संशोधित समस्त नियमों एवं प्रावधानों का पालन करना होगा।

अतः यदि आपको उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो उत्खनिपट्टा स्वीकृति दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुए भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनिपट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत (Revoke) समझा जावेगा।


(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.
रीवा दिनांक : 16/05/2023

पृष्ठां. क्रमांक/ 1643 /खनिज/2023
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन अभिकरण, पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.)
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रीवा म.प्र.।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा।
4. क्षेत्रीय प्रमुख, भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा म.प्र.।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रीवा।
6. खनि निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.।
7. ग्राम पंचायत भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

Annexure-16

E-mail:- modgurew@mp.gov.in

कमांक/9311/खनिज/2023

रीवा दिनांक.07.07.2023....

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिला रीवा (म0प्र0)

868
10/7/23

विषय:- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण कमांक 166/2023 अनुपम
पटेल विरुद्ध के संबंध में जानकारी बावत्।
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 839 रीवा दिनांक 04.0.2023 के
संबंध में।

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत संबंध में ग्राम रामनई तथा
भलुहा ग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत व संचालित लीज की जानकारी
संलग्नक 'अ' अनुसार है। उक्त क्षेत्र पर अवैध उत्खनन, परिवहन तथा
भण्डारण पर की गई कार्यवाही का विवरण की जानकारी तालिका में
वर्षवार संलग्नक 'ब' अनुसार है।

आपके द्वारा चाही गई जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु
सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

A-16

खान रामनई तथा भुहा क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के प्रकरणों का विवरण।

संलग्न 'ब'

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि	जमा अर्थदण्ड राशि	शेष बकाया राशि	रिमाक
2015-16	अवैध उत्खनन	-	-	-	-
	अवैध परिवहन	3	35000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	0.00
2016-17	अवैध उत्खनन	0	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	3	45000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
2017-18	अवैध उत्खनन	0	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	3	67500.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
2018-19	अवैध उत्खनन	0	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	6	105000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	1	12500.00	0.00	-
2019-20	अवैध उत्खनन	2	125000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	1	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
2020-21	अवैध उत्खनन	2	65000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	1	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
2021-22	अवैध उत्खनन	2	36000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
2022-23	अवैध उत्खनन	1	30000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0	0.00	0.00	-
योग	25	605000.00	605000.00	0.00	0.00

32

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

ग्राम रामनई तथा भलुहा ग्राम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत व संचालित लीज की जानकारी

A-16

							संलग्न 'अ'
क्रं	पट्टेदार का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत खसरा	रकबा	ग्राम	तहसील	पट्टे की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रजनी प्रसाद मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	224/1/ब	01 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	02.08.2000 से 01.08.2005
2	लेखा सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ख	2.90 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	10.08.2003 से 09.08.2008
3	संतोष कुमार शर्मा	पत्थर/गिट्टी	310	05 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	10.01.2004 से 09.01.2009
4	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	02 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	09.08.2004 से 08.08.2009
5	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	02 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	28.01.2006 से 27.01.2016
6	संतोष शर्मा	पत्थर/गिट्टी	310	05 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	24.07.2010 से 23.07.2015
7	विनीता सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ग/3	0.315 एकड़	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	25.06.2006 से 26.06.2015
8	लेखा सिंह	पत्थर/गिट्टी	224/1/ख/2	0.380 हे०	रामनई	रायपुर कर्चुलियान	15.09.2010 से 14.09.2015
9	मनीष सिंह पटेल	पत्थर/गिट्टी	310	2.50 एकड़	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	12.10.2010 से 11.10.2015
10	अर्चना मिश्रा	पत्थर/गिट्टी	310	0.810 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	28.01.2016 से 27.1.2021
11	संतोष शर्मा	पत्थर/गिट्टी	224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11, 224/1ख/4	01.000 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	10 वर्ष हेतु स्वीकृत
12	मे० नर्मदा ढोका पत्थर, मुरुम, गिट्टी, पत्थर उत्खनन कार्य विकस्य सहकारी समिति मर्यादित रामनई	पत्थर/गिट्टी/ मुरुम/ढोका पत्थर	310/1	01.000 हे०	भलुहा	रायपुर कर्चुलियान	27.03.2023 से 26.06.2033


 प्रभारी अधिकारी, खनिज
 हेतु कलेक्टर, जिला रायपुर (म.प्र.)
 कलेक्टर जिला रायपुर (म.प्र.)

ग्राम रामनई तथा भलुहा क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के प्रकरणों का विवरण।

संलग्न 'ब'

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि	जमा अर्थदण्ड राशि	शेष बकाया राशि	रिमाक
2015-16	अवैध उत्खनन	-	-	-	-
	अवैध परिवहन	35000.00	35000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	45000.00	45000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2017-18	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	67500.00	67500.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2018-19	अवैध उत्खनन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	105000.00	105000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	12500.00	12500.00	0.00	-
2019-20	अवैध उत्खनन	125000.00	125000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	42000.00	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2020-21	अवैध उत्खनन	65000.00	65000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	42000.00	42000.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2021-22	अवैध उत्खनन	36000.00	36000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
2022-23	अवैध उत्खनन	30000.00	30000.00	0.00	-
	अवैध परिवहन	0.00	0.00	0.00	-
	अवैध भण्डारण	0.00	0.00	0.00	-
योग	25	605000.00	605000.00	0.00	0.00

32

प्रभारी अधिकारी सुनिर्माण
कलेक्टर जिला शिव (क.प्र.)
कलेक्टर जिला शिव

क्रमांक/ 1693 /खनिज/2023

रीवा, दिनांक 26/05/2023

//कारण बताओ सूचना पत्र//

Annexure-17

प्रति,

श्री संतोष शर्मा

आत्मज श्री राजमणि शर्मा

निवासी:- भलुहा तह0 रायपुर कर्चुलियान

जिला रीवा मध्यप्रदेश

विषय :- उत्खनिपट्टा शर्तो के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने विषयक।

--00--

विषयांतर्गत आपके पक्ष में ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख0 कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र पर खनिज पत्थर केशर गिट्टी हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। जिसमें खनि निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार उत्खनिपट्टा क्षेत्र में निम्नानुसार उल्लंघन किया जाना पाया गया है:-

- यह कि आपके द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में सीमांकित करने वाले सीमा चिन्ह, तथा स्तम्भ स्थापित नहीं किया गया है। जो म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(11) का स्पष्ट उल्लंघन है।
- यह कि आपके द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
- यह कि आपके द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार छमाही अनुपालन रिपोर्ट एवं सी.ई.आर. के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं कराया गया है।
- यह कि खनि निरीक्षक प्रतिवेदनानुसार वर्तमान में सी.एम. हेल्पलाईन में भी स्वीकृत क्षेत्र व उसके आस-पास भी अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।

उपरोक्तानुसार उत्खनिपट्टा क्षेत्र में शर्तो के भंग का उपचार नहीं किए जाने पर क्यों न आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा निरस्त किया जाए। आप अपना स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। समयावधि में समाधानकारक जबाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(26,27) के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु-कलेक्टर, जिला-रीवा (म.प्र.)

“आदेश”

रीवा, दिनांक...9.../...8.../2023

क्रमांक/ 2711 /खनिज/2023, पट्टेदार संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणि शर्मा निवासी:- भलुहा तह0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा मध्यप्रदेश को ग्राम रामनई तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के ख0 कं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकवा 02.114 हे0 क्षेत्र में खनिज पत्थर केशर गिट्टी हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था। पट्टेदार द्वारा उक्त खदान क्षेत्र में सामान्य शर्तों के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप पत्र क्रमांक 1693 दिनांक 26.05.2023 द्वारा पट्टेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में पट्टेदार द्वारा आज दिनांक तक कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का खनि निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन कर स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें शर्तों के भंग का उपचार किया जाना नहीं पाया गया है। क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (26) के तहत स्वीकृत उत्खनिपट्टा को प्रतिसंहत किया जाता है।

कलेक्टर

जिला-रीवा (म.प्र.)

पृष्ठां0 क्रमांक/ 2712 /खनिज/2023

रीवा, दिनांक...9.../...8.../2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. खनि निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. पट्टेदार संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणि शर्मा निवासी:- भलुहा तह0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ लेख है कि भविष्य में यदि उक्त उत्खनिपट्टा से संबंधित कोई भी बकाया राशि निकलती है तो उसे एक माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें। अन्यथा भू-राजस्व की बकाया की भांति राशि आर.आर.सी. जारी कर वसूलनीय होगी।

ell

कलेक्टर

जिला-रीवा (म.प्र.)

Annexure-19

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश

29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स : 0755-2551795
E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक

क्रमांक /खनिज/उ.प./न.क्र.02/2021, कलेक्टर रीवा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 251/खनिज/2022 दिनांक 03.02.2022 तहसील रायपुर कर्चु0 के ग्राम भलुहा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 310/1 का रकबा 2.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज मुरम का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2021 मय सहपत्रों के अग्रेषित किया गया है। आवेदक के पक्ष में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3667 दिनांक 17.03.2022 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। जिसके अनुपालन में आवेदक द्वारा अनुमोदित खनन योजना व राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण भोपाल (SEIAA) द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2023 से जारी पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत की गई है।

अतः कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित विवरण/शर्त अनुसार खनिज मुरम के उत्खनिपट्टा की स्वीकृति दी जाती है:-

1. आवेदक का नाम : मेसर्स नर्मदा ढोका पत्थर पटिया मुरम गिट्टी उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई, विकास खण्ड-रायपुर कर्चु0, जिला रीवा (मध्यप्रदेश)
2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण : ग्राम- भलुहा
खसरा क्रमांक- 310/1
रकबा- 1.000 हेक्टेयर (संलग्न मानचित्र अनुसार)
खनिज- मुरम
अवधि- 10 वर्ष

अनुबंध निष्पादन के पूर्व आवेदक के विरुद्ध खनिज राजस्व बकाया नहीं होना सुनिश्चित करते हुए, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

2M / 30/07/23

//2//

A-19

यदि आवेदक को उपरोक्तानुसार शर्ते मान्य हो तो मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26 के तहत तीन माह की अवधि के भीतर अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ0क्रमांक 1352-53/खनिज/उ.प./न.क्र.02/2022,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 30/01/23

- 1) कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (मध्यप्रदेश) की ओर प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक 251/खनिज/2022 दिनांक 03.02.2022 के संदर्भ में मूल अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) मेसर्स नर्मदा ढोका पत्थर पटिया मुरम गिट्टी उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई, विकास खण्ड-रायपुर कर्चु0, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2m
संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

क्रमांक

दिनांक

1. बंदोबस्त

2. खनिज

3. खनिज

4. खनिज

5. खनिज

6. खनिज

A-19

प्ररूप-सात
(नियम 26 देखिए)
उत्खनन पट्टा विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) के माध्यम से कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

नेसर्स नर्मदा ढोका पत्थर पटिया मुरुम गिट्टी उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई विकास खण्ड रायपुर कर्चु0 रीवा (म.प्र.) (सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा सतीश कुमार मिश्रा आत्मज संतोष कुमार मिश्रा पद अध्यक्ष (व्यक्ति का नाम, पद सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

अथवा

..... (भागीदारों के नाम तथा पते) आत्मज निवासी समस्त व्यक्ति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932(1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम तथा अभिनाम (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त समस्त भागीदार, उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर है (पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी हैं);

के बीच आज तारीख 27/03/2023 को किया गया।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के संबंध में खनिज मुरुम के हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 5000.00 चालान क्रमांक MPT085310022023000108 दिनांक 10.02.2023 एवं एफ.डी. रुपये 75000.00 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा रीवा (म.प्र.) (10 वर्ष हेतु) एफ.डी. खाता क्रमांक 184003165251 दिनांक 20.02.2023 द्वारा राशि जमा की है;

इस बात का साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाटकों तथा स्वामिस्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रति फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अंतरित करता है;

खनिज मुरुम की ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें)(जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित, अव्यस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों, तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के

Sk Mishra

[Signature]

भाग-दो में वर्णित हैं, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित हैं, अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-चार में वर्णित हैं, परिसर दिनांक से आगामी (10 वर्ष) की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को, एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं, पट्टे पर दिये जाते हैं, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामित्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग-पांच में वर्णित हैं, क्रमशः ऐसे राज्यों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उनका मुगलान करेगा और पट्टेदार एतद्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य सरकार एतद्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है:

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है.

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची भाग एक-इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र :

मलुहा ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो रायपुर कर्चु0 तहसील में मलुहा ग्राम पंचायत में है और जो खसरा क्रमांक 310/1 जिसमें 01.000 हे0 या उसके लगभग का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :

उत्तर में 310 अंश भाग द्वारा

दक्षिण में 310 अंश भाग द्वारा

पूर्व में 310 अंश भाग द्वारा

और

पश्चिम में 310 अंश भाग द्वारा

जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भूमि' के रूप निर्दिष्ट किया गया है

भाग दो-उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भाग तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना, तथा कार्य करना इत्यादि- एतद्वारा किये गये पट्टा अंतरण की की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

2. मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना- इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, दरेसी-फर्शा, ईट-भट्टा, कर्मशाला, भण्डारगृह, गोदाम, शौड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

3. रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग— इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई इमारत, रास्ता तथा अन्य मार्गों को बनाने और छोड़ने, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उत्सव (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान इमारतों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी कि उचित हो, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

4. भवन तथा रास्तों की सामग्री इत्यादि— इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्तों के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कंकालु निर्मित करने और ऐसे ईंटों तथा कंकालुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी सामग्री, ईंटों या कंकालुओं का विक्रय करने के लिए नहीं।

5. जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि— इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अधीन रहते हुए तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बाध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरुद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियाँ या जलशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाने रखने के लिए और उस संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृष्य भूमियों, घरानों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित करेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किस नाथ्य जलधारा में निकासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोड़ेगा।

6. घट्टे लगाने, ढेर लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग— उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपकरणों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों, या निकाले गये हों, घट्टे लगाने, ढेर लगाने, नंडारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश करने और उपयोग रखने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।

भाग तीन—भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें (Terms and Conditions)

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा— किसी सार्वजनिक विहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन या तद्दृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएगी और कोई भी भूतल सक्रियाएं नहीं की जाएंगी जिससे किन्हीं भवनों, छायाँ, संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को, यदि कोई हों या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल सक्रियाओं के लिये ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से निम्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जाएगा। पट्टेदार किसी मार्ग, कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/नहीं करेगी।

2. ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल सक्रियाओं के लिए अनुज्ञा— ऐसी भूमि का जो भूतल सक्रियाओं के लिए पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बावत उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार, जिले के कलेक्टर को दो कलेक्टर पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/देंगे जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन या इस प्रकार किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की संभा और वह प्रयोजन जिसके जिसके लिए वह अर्पित है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर, उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार की, की गई आपत्ति, राज्य सरकार को निर्देश किए जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती।

3. अधिसूचना सं. एक 1-107-2000-आर-1 दि. 24 नवम्बर 2001 द्वारा विलोपित।

Demishna

[Signature]

4. जंगी हुई शासकीय अनुसंधानों तथा मछी के लिए सुविधाएँ- पट्टेदार, ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारी द्वारा अधिष्ठित भूमि में सम्मिलित है, या ऐसी भूमि से जंगी हुई है या जिसे उसके/उसके द्वारा अधिष्ठित भूमि से पहुँचा जाता है, शासकीय अनुसंधानों या पट्टे के विद्यमान या आने वाले को तब तक पहुँच की सुविधापूर्वक सुविधाएँ प्रदान किये जाने का बत अनुज्ञा होगा।

परन्तु यह कि अनुसंधानों या पट्टी के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारी की शक्तियों के बारे में कोई सार्वजनिक प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारी को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारी को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

भाग चार - राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

1. अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना- राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों को खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने, उत्खनन करने, देखी करने, प्रसारित करने, सार्वजनिक करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए, खनने, सुरंग बनाने, रोपण करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संरक्षण करने और ऐसे मछी, कुवकों, अगतियों, अनुसंधानों, समतालिकाओं तथा अन्य लाइनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इंजनों, मशीनरियाँ, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और ऐसी सुविधाओं का जैसी कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाए, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का उपयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारी की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उसके संबंध में कोई सार्वजनिक प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारी को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

2. रेलपथ तथा शस्त्री बनाना- राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और इस पर, इसके ऊपर या उसके आधार किन्हीं रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाइनों तथा अन्य मार्गों को या उन पर या या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और किसी अवसर पर अधिष्ठित हो, छोड़ी, पट्टेदारों या अन्य पशुगाड़ियों, वेगनों, वाहकों, लाकोमोटिवों या अन्य वाहनों सहित या सहित, मुक्त पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारी की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उसके संबंध में कोई सार्वजनिक प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारी को हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारी को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अन्वयित किया जाय।

भाग पाँच - इस पट्टे द्वारा आधारित भाटक और स्वामित्व (Royalty), अनिवार्य भाटक (डिडरेंट) या स्वामित्व, जो भी उचित हो, का भुगतान करना

1. पट्टेदार, [अधिसूचना क्र. एक 19-75-2000-वाच-2, दि. 21-5-2001 विज्ञापित] प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा।

परन्तु इन नियमों के नियम 20 के अधीन जहाँ ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अधिकारी, प्रबंधक, निवासित व्यक्ति, टिकेदार या इन-पट्टेदार द्वारा पट्टे क्षेत्र में हटाय गये या खपय गये किसी भी खनिज के लिए स्वामित्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है, वहाँ यह ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस स्वामित्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उचित हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

Secretary



2. भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग— इस भाग के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन रहे हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के लिए इन नियमों की अनुसूची-चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रीति में, जैसा कि नियम 30 (1) (क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे।

3. स्वामित्व के भुगतान की दरें तथा ढंग— इस भाग के खण्ड 1 के उपबंध के अधीन रहते हुए, पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम 30 (1) (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामित्व का, इन नियमों की अनुसूची-तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे।

4. सतही भाटक का भुगतान— पट्टेदार उक्त भूमियों के जो समय-समय पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई हैं या उपयोग की गई हैं, समस्त भागों के सतह के संबंध में क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर या उसके किसी भाग के लिए रुपये 02/- प्रति हे0 की दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाय, भाटक का राज्य सरकार को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को यथासंभव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा/करेंगे। सतह भाटक का भुगतान नियम 30(1)(ग) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा।

भाग छः— भाटक और स्वामित्व संबंधी उपबंध

1. भाटक और स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होंगे— इस अनुसूची के भाग-पांच में उल्लेखित भाटक और स्वामित्व का, नियम 30(1) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार को किसी भी कटौती से मुक्त भुगतान किया जाएगा।

2. स्वामित्व की संगणना के ढंग— उक्त स्वामित्वों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, पट्टेदार/पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेषण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा। साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का, जो कि स्टॉक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल की जा सकेगी।

3. यदि भाटक और स्वामित्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है, तो कार्रवाई— इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन राज्य सरकार को शोध्य कोई भाटक, स्वामित्व या अन्य रकम का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

भाग सात— पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

1. पट्टेदार भाटकों तथा स्वामित्वों, करों इत्यादि का भुगतान करेगा— पट्टेदार, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामित्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग पांच तथा छः में उपबंधित हैं, भुगतान करेगा/करेंगे और ऐसे समस्त करों, रेंटों, निर्धारणों तथा अधिरोपणों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सार्वजनिक मांग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार/पट्टेदारों के उन परिसरों तथा संकायों के, जो तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के सामिलाती हों, सिवाय भू-राजस्वों की मांगों के, पर या उनके संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा समय-समय पर प्रभारित किये जाएं, निर्धारित किये जायें या अधिरोपित किये जायें, का भी भुगतान करेगा/करेंगे तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेंगे।

2. सीमाचिन्हों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना— पट्टेदार अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तंभों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा, ऐसे चिन्ह तथा स्तंभ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।

3. सक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा— पट्टेदार, पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सक्रिया प्रारंभ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात् इस

Semichro

[Signature]

D-19

पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को स्वेच्छापूर्वक अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के मूलतः तथा पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को अनावश्यक या अपरिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेंगे, उनके संबंध में कार्य करेगा/करेंगे तथा विकास करेगा/करेंगे। इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सक्रियाओं में खान के संबंध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ बिछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है।

4. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखा जाएगा- पट्टेदार, ऐसे समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिये, जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके/उनके द्वारा किये गये हों, उस विषय पर प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हरजाना तथा प्रतिकार देगा तथा उनको मुग्तान करेगा/करेंगे जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विरुद्ध ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के संबंध में जो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य सरकार को क्षतिपूरित करेगा/करेंगे और पूर्णरूप से तथा संपूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे।

5. गड्डे इत्यादि को सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना- पट्टेदार, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गड्डे तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायं, या उपयोग में लाये जायं, इमारती लकड़ी या अन्य ठिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेंगे और उसे प्रत्येक गड्डे या खदान के चाहे वह परिव्यक्त हो अथवा न हो, इर्दगिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड़ लगाएगा/लगाएंगे तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के, जो परिव्यक्त कर दी गई हैं, यथासंभव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेंगे।

6. खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना- पट्टेदार, यथारिधि, संबंधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधानपर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूतीकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा संभाल करेगा/करेंगे।

7. खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना- पट्टेदार, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, पूर्वक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में, जिसमें कोई भवन, उत्खनन या पट्टे में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा/करेंगे और पट्टेदार उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित हैं, ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मचारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के संबंध में ऐसी समस्त सुविधाएं, जानकारी देगा/देगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्वया, समय-समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा/करेंगे तथा उनका अनुपालन करेगा/करेंगे।

8. दुर्घटना की रिपोर्ट की जाना- पट्टेदार, बिना विलंब के कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा/भेजेंगे जो इस पट्टे के अधीन सक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो।

9. अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना- पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र में ऐसे किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर को अविलंब देगा/देगे। यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाय या उसके लिए एक पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाय।

10. उत्पाद तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना- पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखी पुस्तकें, रखेगा/रखेंगे या रखवाएगा/रखवाएंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर सही प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :

- (1) उक्त भूमियों से प्राप्त उक्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार

Sushra

- (2) उन खनिज/खनिजों को, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक-पृथक रूप से।
- (3) अन्यथा निपटारे गये विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज/खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारे की रीति तथा प्रयोजन।
- (4) उक्त खनिज/खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमतें तथा अन्य समस्त विवरण।
- (5) उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों, की संख्या, तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए।
- (6) ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियां तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में केन्द्र या राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करे, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, उक्त लेखा-पुस्तकों, रेखाकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

11. रेखांक इत्यादि संचारित करना- पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों की खानों के सही, बोधगम्य, आदिनांक तथा संपूर्ण रेखांक संचारित करेगा/करेंगे। पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त संक्रियाएं तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खाइयां, गड्ढे तथा भू-वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अंत में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, संशोधित किये जायेंगे तथा भरे जायेंगे और पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किये जाएं, ऐसे रेखाकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे, समस्त खाइयां, गड्ढों के खुद अभिलेखों में-

- (क) वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्रैटा) जिसमें वे हैं;
- (ख) कोई खनिज जो मिला है;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े, दर्शाए जायेंगे।

पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे, व कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ नक्शार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी।

12. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान- पट्टेदार इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संपत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरुद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य सरकार को हानिरहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूर्ति रखेगा, शासकीय भूमि की दशा में क्रमशः 10 तथा 20 वर्षीय पट्टों के मामले में, पट्टेदार भू-राजस्व के 30 तथा 60 गुना के बराबर प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे।

13. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी- पट्टेदार एतद्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के संबंध में, केन्द्र और राज्य सरकार तथा पूर्वक्षण अनुज्ञापत्रियों या उत्खनन पट्टों के धारकों को ऐसे खनिजों को प्राप्त करने, खुदाई करने, विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिए उन तक उक्त भूमियों के ऊपर तथा उसके आरपार युक्तियुक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा/करेंगे :

Shankar

[Signature]

अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाय, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या भाड़े के लिए पक्षकारों द्वारा की गई सविदाओं तथा भाटक-पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(ग) युद्ध स्थिति या आपाल-काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिसके विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगी) राज्य सरकार की केन्द्रीय सरकार की सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकर का, जो कि राज्य सरकार द्वारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाय, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुए समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद्वारा प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबंधनों तथा उपबंधों को, इस खण्ड के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिये आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

18. राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली- यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट प्रसविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने हैं या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं या उनका पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार, मांग की जाने पर, राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये गये हों तथा ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

19. अन्य बाध्यताएं (Obligations)- (क) पट्टेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्धून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे।

(ख) पट्टेदार, खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे।

(ग) 1. पट्टेदार स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलेक्टर द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।

2. पट्टेदार द्वारा खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया समाप्त होने उपरांत उन क्षेत्रों तथा खनन संक्रिया से प्रभावित समीप के क्षेत्रों में पुनः हरियाली की स्थिति निर्मित हो, ऐसे समुचित उपाय करेगा ताकि ऐसे क्षेत्रों में पशुधन के लिये चारा एवं पेड़ पौधे विकसित हो सकें।

(घ) पट्टेदार, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे।

(ङ) पट्टेदार, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे।

(च) पट्टेदार नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे।

भाग आठ-राज्य सरकार की प्रसविदाएं (Covenants)

1. पट्टेदार अधिकारों को निर्बाध रूप से धारण कर सकेगा/सकेंगे तथा उनका उपभोग कर सकेगा/सकेंगे- पट्टेदार, एतद्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामिस्वों का भुगतान करने पर और इसमें अंतर्विष्ट समस्त प्रसविदाओं तथा करारों का पालन तथा संपादन करने पर या पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पालन तथा संपादन किये जाने पर, ऐसे अधिकारों तथा परिसरों का, जो एतद्वारा, पट्टान्तरित किये गये हैं तथा ऐसी अवधि के दौरान, जो कि, एतद्वारा, प्रदान की जाती है, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति

Sanishka

Raw

द्वारा, जो उसके अधीन दावा करे, बिना किसी अवैध विघ्न के धारण करेगा/करेंगे या धारण कर सकेगा/कर सकेंगे और उनका उपभोग करेगा/करेंगे या उपभोग कर सकेंगे/कर सकेंगे।

2. तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर— यदि, इस अनुसूची के भाग-सात के खण्ड 4 के उपबंध के अनुसार, पट्टेदार, उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलकार को किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उद्भूत हों, प्रतिकर देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलकार राज्य सरकार को आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये हैं अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इंकार करे तो पट्टेदार इस विषय की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा/करेंगे और उसके पास वह रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित की थी और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार/पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य सरकार उचित तथा युक्तियुक्त समझे, तो राज्य सरकार दखलकार को यह आदेश देगी कि वह पट्टेदार/पट्टेदारों को उस भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अनुज्ञात करे, जैसी कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी।

3. नवीकरण किया जाना— नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीकरण किये जाने योग्य है।

4. पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता— (1) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होन पर, यदि पट्टेदार ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटकों, स्वामिस्वों, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देंगे और उसका भुगतान करेगा/करेंगे जो कि उस समय शोध्य हों तथा इस विलेख कि अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य सरकार को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि और एतद्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आत्यंतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा पर्यवसित हो जायेंगे किन्तु वे, इस विलेख में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रसंविदाओं या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(2) मंजूरी, प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किए गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों के समूह के लिए है, एक या अधिक खनिजों का इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक निःशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक ह्रास हो गया है कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे संभव नहीं है, अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार —

(क) ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और

(ख) यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रुकावट कारित नहीं करेगा।

5. प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय— इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यवसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चायन करे, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जाएगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

भाग नौ— सामान्य उपबंध

1. निरीक्षण में बाधाएं— इस मामले में, जहां पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती, समनुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे/उसे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बतलाए कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाय तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाएं, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को

Amiching

[Signature]

समाधानपर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा।

2. स्वामिस्व (Royalty) का भुगतान करने में व्यतिक्रम (Defaults) करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति— यदि पट्टेदार या उसका/उनके अंतरिती या समनुदेशिती नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है/करते हैं या शर्तों में से किसी शर्त तथा प्रसंविदा का, उन शर्तों को छोड़कर, जो कि ऊपर प्रसंविदा 1 में निर्दिष्ट हैं, भंग करता है/करते हैं, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना देगा कि वह/वे यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे/करें और यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो मंजूरी प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके/उनके विरुद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहृत कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

3. अपरिहार्य घटना के कारण पट्टे की शर्तों की पूर्ति करने में असफलता— पट्टे/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों में से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रहने पर राज्य सरकार पट्टेदार/पट्टेदारों के विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगी या ऐसी असफलता को इस पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा, जहां तक कि ऐसी असफलता को उस सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना के कारण उद्भूत होने वाली समझा जाता है और यदि अपरिहार्य घटना के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे की शर्तों तथा निबंधनों में से किसी शर्त तथा निबंधन की पूर्ति में विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत की गई कालावधि में जोड़ दिया जाएगा। इस खण्ड में अभिव्यक्त "अपरिहार्य घटना" से अभिप्रेत है, दैवीकृत, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल, अशांति, हड़ताल, भूकम्प, ज्वार भाटा, तूफान, ज्वारिया लहर, बाढ़, तड़ित (लायटनिंग) विस्फोट, आग या अन्य कोई ऐसी घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से निवारित या नियंत्रित नहीं कर सकता था/कर सकते थे।

4. पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेंगे— पट्टेदार, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वतर पर्यवसान किये जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कलेण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में, पंद्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कलेण्डर माह के भीतर) उसके/उनके फायदे के लिए समस्त या किसी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्रामपथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार इन नियमों के अधीन राज्य सरकार का परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं है/नहीं हैं, उठाए जा सकेंगे तथा हटाए जा सकेंगे।

5. पट्टा पर्यवसित किये जाने के तीन मास से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पत्ति समपहरण— यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग-आठ के खण्ड 4 में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर पर्यवसान के प्रभावी होने से तीन कलेण्डर माह के अंत में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र भवन, संरचनाएं, ट्रामपथ, तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण तथा सुविधाएं या अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा, उत्खनन पट्टे के अधीन उसके द्वारा/उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किये जाने वाले संकायों के संबंध में अपेक्षित नहीं है, तो वे उन्हें हटाया जाने की अपेक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कलेण्डर माह के भीतर न हटाये जायें, तो वे उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या इस बाबत उन्हें कैफियत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।

6. यह पट्टा जिला—रीवा (म.प्र.) में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अध्यक्षीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद्द्वारा, यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूलीय शोध्यों के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपीलें) जिला—रीवा (म.प्र.) स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा यह स्पष्टतः करार किया जाता है कि ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्रवाई करने या कोई याचिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई पक्षकार सक्षम नहीं होगा।

Stomishar

[Signature]

7. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामित्व रुपये 05,18,650.00 प्रतिवर्ष है।

अतिरिक्त शर्तें

1. म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप शासन द्वारा संशोधित दरों के अनुरूप खनिज रायल्टी, मृतकर एवं डी.एम.एफ. की राशि का भुगतान समय सीमा में किया जायेगा।
2. शासन द्वारा भविष्य में रायल्टी में बढ़ोत्तरी होने पर नियमानुसार मेरे द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा।
3. म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन दिनांक 22.01.2021 में उल्लेखित शासकीय भूमि होने की दशा पर उत्खनिपट्टा में रायल्टी का 15% अतिरिक्त रायल्टी राशि का भुगतान किया जायेगा।
4. उत्खनिपट्टा संचालित करने के पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के चारों तरफ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार चेनलिंग एवं फेंसिंग कर वृक्षारोपण कराया जायेगा।

जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

साक्षी:

प्रभारी उत्खनिज
कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनके आर से

- (1) उत्तरा पट्टाकर्ता
- (2) आई.एस. वरहरी रीवा

- (1) बि.डी. प्रकाश पोरेल
- (2) म.एस. रीवा

द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख.....

पट्टेदार Sumit Singh

तारीख.....
(हस्ताक्षरित तथा पदानिधान)

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Director of Ms Narmada Dhoka, Palthar, Pallya, Murrum, Gilty
SATISH MISHRA
NH-7, Near Pound, Gram Chorgari, Post Naudhiya, Rewa MP-486114 -
486114

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/277397/2022 dated 02 Nov 2022. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP121978
2. File No.	9426/2022
3. Project Type	Now
4. Category	B2
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	Bhaluha Murrum Quarry
7. Name of Company/Organization	SATISH MISHRA
8. Location of Project	Madhya Pradesh
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 10/01/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (Madhya Pradesh)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC Identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote Identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/277397/2022 - प्रकरण क्र 9426/2022 परियोजना प्रस्तावक गेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पटीया, मुरुम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति ग्यादित रामनई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच-7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु0 जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के रांशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/277397/2022 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 16.11.2022) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण पत्र क्र. 782 दिनांक 04.04.2022 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता क्षेत्र/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°33'21.69" से 24°33'27.39" और देशांतर 81°24'47.43" से 81°24'47.33" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 763वीं बैठक दिनांक 28.12.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वीं बैठक दिनांक 07.12.2022 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिसूचित करती हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक गेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पटीया, मुरुम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति ग्यादित रामनई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच-7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) के नाम मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु0 जिला रीवा (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. संचालनालय, भौगिकी तथा खनिकर्मा, गोपाल का पत्र क्र. 3667 दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सौद्धातिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.03.2032 तक मान्य रहेगी।



Consent Order

M.P. Pollution Control Board – Rewa
HIG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
(E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

RED-SMALL- Mine

CTE- Fresh

VALIDITY (A/W): 19/02/2028

CONSENT NO:

PCB ID: 153513

Outward No:15446.28/02/2023

Consent No:CTE-110448

To,

The Occupier,

M/s Narmada Dhoka Pathar Patiya Murrum Gitty Mine - Category- RED/SMALL,

Khasra. No. 310/1 Rakwa – 1.00 Hector ,

Village- Bhaluha , Tehsil- Raipur karchulian, Distt : Rewa, (MP) SIDC : Not In SIDC

Subject: Grant of Consent to Establishment under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your CTE Application Receipt No.1261749 Dated. 20/02/2023.

Without prejudice to the powers of this Board under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an mine activities at **Village- Bhaluha , Tehsil- Raipur karchulian, Distt : Rewa, (MP) , Mobile No. 7987977582 .**

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Khasra. No. 310/1 Rakwa – 1.00 Hector , Village- Bhaluha , Tehsil- Raipur karchulian, Distt : Rewa (M.P) Latitude- 24.5579 Longitude- 81.4127.
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 20.0

Product	Production Capacity
Mining of Mineral (Stone)	9600.00 Cum/Year (Nine Thousand Six Hundred Cubic Meter /Year Only)

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The consent (for operation) as required shall be granted to your industry after fulfillment of all the conditions mentioned above. For this purpose you shall have to make an application to this Board in the prescribed proforma at least two months before the expected date of commissioning of your industry. The applicant shall not operate the unit without obtaining consent for operation from the Board and shall not bring in to use any out let for the discharge of effluent and gaseous emission.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Regional Officer
MPPCB- Rewa

Digitally signed by Puspendra Singh, S.E. on 28/02/2023 05:49:23 PM
TPAV # 6PR99K31DK

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

Signature Not Verified
Digitally Signed by :
PUSPENDRA SINGH, S.E.
Date: 28/02/2023 05:49:23 PM

PUSPENDRA SINGH
Regional Officer

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/2016/खनिज/2023

रीवा दिनांक:- 14/6/2023

प्रति,

श्री० नर्मदा लोक पत्थर पटिया
 मुख्याधिकारी, उत्खनन काम विक्रय
 सहाकारी समिति, मर्यादित राप्त नदी विकास 2905
 214500 नं० राप्त नदी

विषय :- स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में।

--x-x-x--

उपरोक्त विषयान्तर्गत खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार रीवा जिले में आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा तहसील 214500 नं० ग्राम मर्यादित ख0क0 310/1 रकवा 1.00 हे0 क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा में शासन निर्देशानुरूप समय सीमा में कार्यवाही किया जाना वांछित एवं अनिवार्य है।

- उत्खनिपट्टा क्षेत्र में निर्धारित समयावधि में खनिज रायल्टी/डीएमएफ/डेडरेन्ट/ग्रामीण अवसंरचना (खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य का 2 प्रतिशत राशि) टीसीएस एवं अन्य करों का भुगतान किया जाना।
- शासन निर्देशानुरूप जिला स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) द्वारा प्राप्त की गई पर्यावरणीय स्वीकृती को राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) समिति के समक्ष रिअप्रेसल के लिये समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत किया जाना।
- पर्यावरणीय स्वीकृती में निहित (CER) कार्पोरेट इन्वायमेंट रिस्पॉन्सिवेल्टी के कार्यों को पूर्ण कर जानकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना एवं बृहद वृक्षारोपण एवं खदानों में तार फ्रेसिंग के फोटोग्राफ प्रस्तुत करना।
- खनन योजना का नवीनीकरण किया जाकर अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टा में खनन कार्य किया जाना एवं उत्खनिपट्टा में डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।
- खनिज उत्पादन, संधारण, विक्रय की मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक जानकारी एवं कर निर्धारण हेतु अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

उपरोक्तानुसार निर्देशो का पालन आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। जो M0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतएव उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन कर अपना पक्ष साबित कर एक माह कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा कि स्थिति में प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी।


 प्रभारी अधिकारी, खनिज
 हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

“आदेश”

रीवा, दिनांक...१.../...४.../2023

क्रमांक/ 2709 /खनिज/2023, पट्टेदार मॉ नर्मदा ढोका पत्थर पट्टिया मुरुम गिट्टी उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई जिला रीवा मध्यप्रदेश को ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के भूमि खसरा नं. 310/1 रकवा 01.000 हे० क्षेत्र में खनिज मुरुम हेतु उत्खनिपट्टा अवधि 27/03/2023 से 26/03/2033 तक के लिये स्वीकृत किया गया था। पट्टेदार द्वारा उक्त खदान क्षेत्र में सामान्य शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 14.06.2023 द्वारा पट्टेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में पट्टेदार द्वारा आज दिनांक तक कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का खनि निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन कर स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें शर्तों के भंग का उपचार किया जाना नहीं पाया गया है। क्षेत्र प्राप्त शिकायतों एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (26) के तहत स्वीकृत उत्खनिपट्टा को प्रतिसंहत किया जाता है।

कलेक्टर
जिला-रीवा (म.प्र.)

पृष्ठां० क्रमांक/ 2710 /खनिज/2023 रीवा, दिनांक...१.../...४.../2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. खनि निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.) की ओर निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त उत्खनिपट्टा का कर-निर्धारण कर प्रस्तुत करते हुये पट्टेदार से मौका कब्जा वापस प्राप्त करें।
3. पट्टेदार मॉ नर्मदा ढोका पत्थर पट्टिया मुरुम गिट्टी उत्खनन कार्य विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई जिला रीवा मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ लेख है कि उत्खनिपट्टा का माइन क्लोजर प्लान तत्काल प्रस्तुत करें एवं भविष्य में यदि उक्त उत्खनिपट्टा से संबंधित कोई भी बकाया राशि निकलती है तो उसे एक माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें। अन्यथा भू-राजस्व की बकाया की भांति राशि आर.आर.सी. जारी कर वसूलनीय होगी।

सुनील कुमार

कलेक्टर
जिला-रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/२११४ /खनिज/२०२३

रीवा, दिनांक २५/०८/२०२३.....

प्रति,

Annexure-24

1. पुलिस अधीक्षक
जिला रीवा (म०प्र०)
2. वनमण्डलाधिकारी
वन मंडल जिला रीवा (म०प्र०)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जिला रीवा (म०प्र०)
4. अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म०प्र०)
5. क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिला रीवा (म०प्र०)

विषय:- ग्राम रामनई-भलुहा पठार के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- टास्क फोर्स बैठक दिनांक 17.08.2023 में दिए निर्देश।

—००—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत रीवा जिले के तहसील रायपुर कर्चुलियान के ग्राम रामनई एवं भलुहा में स्थित पठार के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। पुनः लेख है कि पठार के संरक्षण के संबंध में सतत निगरानी रखी जाए। शासकीय एवं निजी भूमि का चिन्हांकन कर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। पठार के चारों तरफ कच्चे रास्तों को अवरूद्ध किया जाए तथा पठारी भाग पर स्थानीय प्रजाति के पौधों का वृहद वृक्षारोपण कर पठारी भाग का सौंदर्यीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाकर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर

जिला-रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/ /खनिज/२०२३

रीवा, दिनांक/...../.....

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी खनिज जिला रीवा (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी उडनदस्ता खनिज जिला रीवा (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

जिला-रीवा (म०प्र०)

श्री संतोष शर्मा
आत्मज श्री राजमणि शर्मा
निवासी ग्राम भलुहा तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा के खसरा क्रमांक 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 02.114 हे0 क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिये पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा नवीन आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021 में सैद्धांतिक सहमति दिये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 15.03.2021

---X-X-X---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपके द्वारा ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा के खसरा क्रमांक 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 02.114 हे0 (निजी भूमि) क्षेत्र पर अवधि 10 वर्ष के लिए आवेदन दिनांक 15.03.2021 को अनुसूची एक के अनुक्रमांक-6 (क) में खनिज यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिये पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा के लिए म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 9 एवं 10 में विहित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप-एक में ऑनलाईन एवं कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र के संबंध में वनमण्डल अधिकारी रीवा/तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु0/खनि निरीक्षक/सहायक मानचित्रकार/ग्राम सभा का प्रस्ताव/प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। प्राप्त जांच प्रतिवेदनों का आवश्यक परीक्षण किये जाने के उपरांत आपके पक्ष में ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा के खसरा क्रमांक 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 01.000 हे0 (निजी भूमि) क्षेत्र स्वीकृत हेतु उपलब्ध पाया गया है। अनुसूची एक के अनुक्रमांक-6 (क) में विनिर्दिष्ट खनिज यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्टी बनाने के लिये पत्थर (अर्थात् क्रशर के उपयोग हेतु) आवेदित क्षेत्र रकबा 01.000 (निजी भूमि) पर अवधि 10 वर्ष हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाकर सैद्धांतिक सहमति निम्नानुसार शर्तों का पालन किये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है:-

1. यह कि आवेदित क्षेत्र के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जानकारी भविष्य में गलत पाई जावेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा आवेदित भूमि के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो तत्समय लिये गये निर्णय को मान्य करना होगा एवं समस्त जवाबदारी आपकी होगी।
2. यह कि सैद्धांतिक सहमति जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(कलेक्टर महो0 द्वारा अनुमोदित)

संतोष शर्मा

प्रभारी अधिकारी, खनिज
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)
हेतु कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/११५६/खनिज/२०२३

रीवा दिनांक - ३१-८-२०२३

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल (म०प्र०)

विषय :- श्री संतोष कुमार शर्मा के पक्ष में पूर्व से संचालित उत्खनिपट्टा की जानकारी के संबंध में।

--X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम भलुहा तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा (म.प्र.) के ख०क० ३१० रकवा ५.०० एकड़ (२.०२३ हे०) पर खनिज गिट्टी/पत्थर हेतु उत्खनिपट्टा अवधि २४.०७.२०१० से २३.०७.२०१५ तक श्री संतोष कुमार शर्मा के पक्ष में स्वीकृत था। जिसमें कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के परीक्षण उपरान्त स्वीकृत अवधि में कुल ४१९८ घनमीटर खनिज उत्पादन किया गया। जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	वर्ष	खनिज उत्पादन (घ०मी० में)
१	२०१०	१०००
२	२०११	२५०
३	२०१२	१०५०
४	२०१३	१३९८
५	२०१४	५००
६	२०१५	००
कुल योग	—	४१९८

तदनुसार जानकारी प्रेषित है।



प्रमारी अधिकारी खनिज
हेतु-कलेक्टर, जिला रीवा (म०प्र०)

F. No. 22-21/2020-IA.III
 Government of India
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 Impact Assessment Division

Indira Paryavaran Bhawan
 Jor Bagh Road, Aliganj
 New Delhi - 110003
 sujit.baju@gov.in

Date: 7th July, 2021

Office Memorandum

Subject: Standard Operating Procedure (SoP) for Identification and handling of violation cases under EIA Notification 2006 in compliance to order of Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No.34/2020 WZ - Regarding.

The Ministry had issued a notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 detailing the process for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance in respect of projects or activities which have started the work on site and/or expanded the production beyond the limit of Prior EC or changed the product mix without obtaining Prior EC under the EIA Notification, 2006.

2. This Notification was applicable for six months from the date of publication i.e. 14.03.2017 to 13.09.2017 and further based on court direction from 14.03.2018 to 13.04.2018.
3. Hon'ble NGT in Original Application No. 287 of 2020 in the matter of Dastak N.G.O. Vs Synochem Organics Pvt. Ltd. &Ors. and in applications pertaining to same subject matter in Original Application No. 298 of 2020 in Vineet Nagar Vs. Central Ground Water Authority &Ors., vide order dated 03.06.2021 held that "(...) **for past violations, the concerned authorities are free to take appropriate action in accordance with polluter pays principle, following due process**".
4. Further, the Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 34/2020 WZ in the matter of Tanaji B. Gambhire vs. Chief Secretary, Government of Maharashtra and ors., vide order dated 24.05.2021 has directed that "**...a proper SoP be laid down for grant of EC in such cases so as to address the gaps in binding law and practice being currently followed. The MoEF may also consider circulating such SoP to all SELAAs in the country**".
5. Therefore, in compliance to the directions of the Hon'ble NGT a Standard Operating Procedure (SoP) for dealing with violation cases is required to be drawn. The Ministry is also seized of different categories of 'violation' cases which have been

pending for want of an approved structural/procedural framework based on 'Polluter Pays Principle' and 'Principle of Proportionality'. It is undoubtedly important that action under statutory provisions is taken against the defaulters/violators and a decision on the closure of the project or activity or otherwise is taken expeditiously.

6. In the light of the above directions of the Hon'ble Tribunal and the issues involved, the matter has accordingly been examined in detail in the Ministry. A detailed SoP has accordingly been framed and is outlined herein. The SoP is also guided by the observations / decisions of the Hon'ble Courts wherein principles of proportionality and polluters pay have been outlined.

7. Relevant Court Cases on the issue: It is noted that while deciding issues related to violations of the Environment Protection Act, 1986 on account of running the project/activity without prior environmental clearance or in excess of capacity allowed in such clearances, **the Hon'ble courts have, *inter-alia*, deliberated on various facets involving 'violation' cases and have enunciated principles of 'Proportionality' and 'Polluter Pays' in various decisions viz. Industrial Council for Enviro-Legal Action Vs Union of India (the Bichhri village industrial pollution case) (1996 SCC [3] 212); Alembic Pharmaceuticals Ltd. Vs Rohit Prajapati & Ors. (C.A. No. 1526 of 2016, order dated 1.4.2020) and Hindustan Copper Limited Vs Union of India in (W.P. (C) No. 2364 of 2014, order dated 28.11.2014).** The salient extracts of the judgements are as under:

Issue 1: Proposal for grant of Environmental Clearance in violation cases - to be considered on merits:

i. Hon'ble High Court of Jharkhand in the matter of Hindustan Copper Limited Vs Union of India in W.P. (C) No. 2364 of 2014, vide order dated 28.11.2014

Held: "(...) action for alleged violation would be an independent and separate proceeding and therefore, consideration of proposal for environment clearance cannot await initiation of action against the project proponent."

"(...) the proposal of the petitioner company for environmental clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for the alleged violation of the environmental laws."

ii. Hon'ble Madras High Court in the matter of Puducherry Environment Protection Association Vs The Union of India in W.P. No. 11189 of 2017, vide order dated 13.10.2017

Held "27. The question is whether an establishment contributing to the economy of the country and providing livelihood to hundreds of people should be closed down only because of failure to obtain prior environmental clearance, even though the establishment may not otherwise be violating

SA

pollution laws or the pollution, if any, can conveniently and effectively be checked. **The answer necessarily has to be in the negative.**"

"29. It is reiterated that protection of environment and prevention of environmental pollution and degradation are non-negotiable. At the same time, the Court cannot altogether ignore the economy of the Nation and the need to protect the livelihood of hundreds of employees employed in projects, which as stated above, otherwise comply with or can be made to comply with norms."

Issue 2: Environmental Clearance – Prospective & not ex-post facto:

Hon'ble Supreme Court in the matter of Common Cause Vs Union of India in W.P. (C) No. 114 of 2014, vide order dated 2.8.2017

Held: "(...) an EC will come into force not earlier than the date of its grant."

Issue 3: 'Principles of Proportionality' – to be applied:

Hon'ble Supreme Court in the matter of Alembic Pharmaceuticals Ltd. Vs Rohit Prajapati & Ors. in C.A. No. 1526 of 2016, vide order dated 1.4.2020

Held: "(...) this Court must take a balanced approach which holds the industries to account for having operated without environmental clearances in the past without ordering a closure of operations. The directions of the NGT for the revocation of the ECs and for closure of the units do not accord with the principle of proportionality"

Issue 4: 'Polluter pays' principle &

Issue 5: Costs for remedial measures implicit in Sections 3 & 5 of Environment (Protection) Act, 1986.

Hon'ble Supreme Court in the matter of Indian Council for Enviro- Legal Action Vs Union of India (the Bichhri village industrial pollution case) in (1996 SCC [3] 212)

Held:

a) The Central Government is empowered to take all measures and issue all such directions as are called for the above purpose. The said powers will **include giving directions ...** and also the power to **impose the cost of remedial measures** on the offending industry and utilize the amount so recovered for carrying out remedial measures.....

SA

b) **Levy of costs required for carrying out remedial measures is implicit in Sections 3 and 5** which are couched in very wide and expansive language. Sections 3 and 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, apart from other provisions of Water and Air Acts, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the 'environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2 (a) of the Environment (Protection) Act. This power includes the power to prohibit an activity, close an industry, direct to carry out remedial measures, and wherever necessary impose the cost of remedial measures upon the offending industry.

c) The question of liability of the respondents to defray the costs of remedial measures can also be looked into from accepted universally sound principle, viz., the "**Polluter Pays**" Principle. "The polluter pays principle demands that the financial costs of preventing or remedying damage caused by pollution should lie with the undertakings which cause the pollution, or produce the goods which cause the pollution".

8. Legal provisions:

i. The Environment (Protection) Act, 1986 mandates the Central Government to take all measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution (reference sub-section (1) of Section 3 of Environment (Protection) Act, 1986). Further, clause (xiv) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 specifies that the measures stipulated under sub-section (1) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 includes 'such other matters as the Central Government deems necessary or expedient for the purpose of securing effective implementation of the provisions of this Act'.

ii. Further, notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of the Environment Protection Act, 1986, Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, provides that the Central Government may, in the exercise of powers and performance of Central Government functions under the said Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions.

9. Definition of Violation and Non-compliance:

The Standard Operating Procedure (SoP) considers 'Violation' & 'Non-compliance' from the following perspective:

52

i. "Violation" means cases where projects have either started the construction work or installation or excavation, whichever is earlier, on site or have expanded the production capacity and / or project area beyond the limit specified in the Environmental Clearance (Prior-EC) without obtaining Prior-EC or change of scope without prior approval from the Ministry.

ii. "Non-compliance" means non-compliance of terms and conditions prescribed by the Regulatory Authority in the Prior Environment Clearance accorded to the project.

10. Standard Operating Procedure – Guiding Principles:

i. Without prejudice to any other consequences, **action has to be initiated under section 15 read with section 19** of The Environment (Protection) Act, 1986 **against all violations.**

ii. Projects not allowable/permissible, for grant of EC, as per extant regulations: **To be demolished.**

iii. Projects allowable/permissible, if prior EC had been taken as per extant regulations: **To be closed until EC is granted (if no prior EC has been taken) or to revert to permitted production level (in case prior EC has been granted).**

iv. **Polluter pays:** Violators to pay for violation period - proportionate to the scale of project and extent of commercial transaction.

v. Setting up a mechanism for reporting of violation to the regulatory authority(ies).

11. SOP for dealing with the violation cases:

Step 1: Closure or Revision

Sl no.	Status of EC	Actions
1	If no prior EC has been taken	Order to close its operation
2.	If prior EC is available for existing/old unit	Order to revert the activity/production to permissible limits.
3.	If prior EC was not required for earlier production level but is now required	Restrict the activity/production to the extent to which prior EC was not required.

Step 2: Action under Environment (Projection) Act, 1986

Action under section 15 read with section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be initiated against the violators.

SA

Step: 3: Appraisal under EIA Notification, 2006

The permissibility of the project shall be examined from the perspective of whether such activity/project was at all eligible for the grant of prior EC.

A. If not permissible:

i. The project shall be **ordered for the demolition/closure after issuing show cause notice and providing an opportunity of hearing.**

*Ex. If a red industry is functioning in a CRZ-I area which means that the activity was, in the first place, not permitted at the time of commencement of project. Therefore, the activity is not permissible and therefore it shall be **closed & demolished.***

ii. Respective regulatory authorities shall issue directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for such closure & demolition of the project/activity.

B. If permissible:

i. As per extant regulations at the time of scoping, if it is viewed that the project activity is otherwise permissible, Terms of Reference (TOR) shall be issued with directions to complete the impact assessment studies & submit Environmental Impact Assessment (EIA) report & Environmental Management Plan (EMP) in a time bound manner.

ii. Such cases of violation shall be subject to appropriate

(a) Damage Assessment

(b) Remedial Plan and

(c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

iii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iv. Upon submission of the EIA & EMP report, the project shall be appraised by the Central Sectoral Expert Appraisal Committees or the State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be, as if it was a new proposal. If, on examination of the EIA/EMP report, the project is considered permissible for operation as per extant regulations, the requisite Environmental Clearance shall be issued **which shall be effective from the date of issue.**

v. However, during appraisal after examination if it is found that even though the project may **be permissible but not environmentally sustainable in its present**

SA

form/configuration/features then the project shall be directed to be **modified so that the project would be environmentally sustainable.**

vi. If, however, it is not considered appropriate to issue EC, the project shall be directed to be **demolished/ closed. If such proposal is a case of expansion, the project shall be directed to revert back to the extent of activity for which EC had been granted earlier or to revert back to the extent of activity for which EC was not required (as the case may be).**

vii. Central Sectoral Expert Appraisal Committees or the State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be, may insist upon public hearing to be conducted for such categories of projects for which the EIA Notification 2006, as amended from time to time, requires the public hearing to be conducted.

viii. The project proponent will be required to **submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural & Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA).** The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and **will be released after successful implementation of the Remediation plan and Natural & Community Resource Augmentation Plan.**

Note - The activities, as per above clauses, shall be undertaken simultaneously wherever feasible. Environmental Clearance, if granted, to such projects or activities, after due appraisal of EIA/EMP report, **shall be effective only from the date of issuance of such clearance** and shall be subject to compliance of obligations towards Damage Assessment, Remedial Plan & Community Augmentation Plan, etc. finalized in each case.

12. Penalty provisions for Violation cases and applications:

a. For new projects:

- i. **Where operation has not commenced:** 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report; [Ex: Rs.1 lakh for project cost of Rs.1 Cr]
- ii. **Where operations have commenced without EC:** 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report **PLUS** 0.25% of the total turnover during the period of violation. [Ex: For Rs.100 Cr project cost and Rs.100 Cr total turnover, the penalty shall be Rs.1 Cr + Rs.0.25 Cr = Rs.1.25 Cr]

sd

b. For expansion projects:

- i. **Where operation/production with expanded capacity has not commenced:**
1% of the project cost, attributable to the expansion, incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report.
- ii. **Where operation/ production with expanded capacity have commenced:**
1% of the project cost (attributable to the expansion activity) incurred upto the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover (attributable to the expanded activity/capacity) involved during the period of violation.

12.1. Without prejudice to obligation as per (a) & (b) above, where the project or activity is considered for appraisal as above & the project proponent fails to provide required information or requisite documents or complete the requisite study for the purpose of EIA/EMP reports or does not furnish such reports within such period, as specified by the appraisal committee, without reasonable cause, it shall be inferred that the project proponent is not serious enough and the project or activity shall be directed to be demolished / closed.

12.2. The percentage rates, as above, shall be halved if the project proponent *suo-moto* reports such violations without such violations coming to the knowledge of the Government either on inquiry or complaint.

12.3. The penalty, as above, shall be in addition to liability for carrying out various remedial measures which shall be worked out based on the damage assessment for quantifying the environmental damage caused due to unauthorized project activity [as per Step 3 enumerated above].

13. Identification of Violation cases:

With a view to protecting the environment and to expeditiously bring violators into a regulatory regime so as to prevent & control environment damage caused by such violation & to determine whether operation of such projects is permissible and to take action stipulated under Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 for contravention of the provisions of the said Act, Rules, orders and directions, it is expedient to also identify the cases of violation, examine and appraise such projects so as to refrain them from causing further environmental damage and also to compensate for causing damage to the environment. Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby directs that:-


- i. State Pollution Control Boards & Union Territory Pollution Control Committees, before grant or renewal of Consents under Water(Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & Air (Prevention& Control of Pollution) Act, 1981, shall ensure that the project proponents applies for or possess valid Prior

Sd/-

Environmental Clearance in terms of extant EIA Notification and shall not grant or renew CTO (Consent to Operate) unless Environment Clearance (if applicable) has been obtained.

- ii. The Central Pollution Control Board, all State Pollution Control Boards and all Union Territory Pollution Control Committees shall identify cases of violation under their respective jurisdiction, report such cases to the Ministry or State/Union Territory Level Environmental Impact Assessment Authority, as the case may be and also revoke CTO, if granted to the unit after giving an opportunity of being heard.
- iii. The Central Pollution Control Board, all State Pollution Control Boards and all Union Territory Pollution Control Committees shall expeditiously examine the references, received from public and other bodies, relating to violations and take necessary steps as per (ii) above.

14. This is issued with the approval of the Competent Authority.


 (Dr. Sujit Kumar Bajpayee)
 Joint Secretary (IA)

To

1. Chairperson/Member Secretary of Central Pollution Control Board
2. Chairperson/Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs
3. Chairman/Members of all the Expert Appraisal Committees
4. Chairman/Members of all the State Pollution Control Boards and Union Territory Pollution Control Committees

Copy for information:

1. PS to Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change
2. PS to Hon'ble MoS for Environment, Forest and Climate Change
3. PPS to Secretary(EF&CC)
4. PPS to AS(RS) / AS (RA)/ AS (UD)/ JS(JT) / JS (MP)/ JS (NPG)
5. All the officers of IA Division
6. Website of MoEF&CC/PARIVESH/Guard file

Copy (by email) also forwarded to the Registrar, NGT, in compliance to instruction given in O.A No. 34/2020 WZ in the matter of Tanaji B. Gambhire vs. Chief Secretary, Government of Maharashtra and ors.(order dated 24.05.2021).

By Speed Post

No. Z-11013/50/2018-IA.II (M)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Impact Assessment Division

Indira Paryavaran Bhawan
Vayu Wing, 3rd Floor, Aliganj,
Jor Bagh Road, New Delhi-110 003

Dated: 4th July, 2018**OFFICE MEMORANDUM**

Sub.: Implementation of directions of the Hon'ble Supreme Court Order dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. and compliances of the Ministry's O.M. No. 3-50/2017-IA.III(Pt.), dated 30.05.2018-regarding

Reference is invited to the Ministry's Office Memorandum No. 3-50/2017-IA.III (Pt.), dated 30.05.2018 for consideration of mining proposal w.r.t. directions of the Hon'ble Supreme Court Order dated the 2nd August 2017. Copy of OM is enclosed for ready reference.

2. The Hon'ble Supreme Court, vide judgment dated the 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. has passed a detailed order interpreting Section 21(5) of the MMDR Act and directing payment of 100% penalty for illegal mining operations with reference to the relevant statutes, which *inter-alia*, include the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Forest (Conservation) Act, 1980 and the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.


3. The Ministry has issued the above mentioned OM on 30.05.2018 for consideration of mining proposal w.r.t. Hon'ble Supreme Court Order dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. The Office Memorandum *inter-alia* includes the following additional conditions in TCRs/ ECs to be issued for mining project under the provision of S.O. 804(E) dated 14.03.2017 and subsequent amendments:-

- (i). The project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR/ EC. The undertaking *inter-alia* include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- (ii). In case of violation of above undertaking, the Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.

- (iii). The Environmental Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- (iv). State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining is paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

4. The matter has been examined in the Ministry and the undersigned is hereby directed to request the Department of Mines and Geology, State Government concerned to **ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.** The detailed action taken report may kindly be submitted to this Ministry within 30 days from the receipt of this communication for further necessary action.

5. This issues with the approval of Competent Authority.


(Dr. R.B. Lal)
Scientist 'E'/Addl. Director

To,

- 1). **The Secretary**, Department of Mines and Geology, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- 2). **The Member Secretary** Andhra Pradesh State Pollution Control Board, Paryavaran Bhawan, A-3 Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018.

Copy to

1.

Address of Lessee

M/s KCP Ltd., Plot No. 116 A/A, Road No. 12, MLA Colony, Banjara Hills, Hyderabad, 500034

State

Andhra Pradesh

File No.


J-11015/158/2013-IA.II(M)

2. **The Additional Principal Chief Conservator of Forests (C)**, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (SEZ), 1st and IInd Floor, Handloom Export Promotion Council, 34, Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai - 600034

3. Guard File

4. MoEF&CC Website




(Dr. R.B. Lal)
Scientist 'E'/Addl. Director

Annexure-EC-I

XGN No. 25022 Dated 25/3/14

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
HIG-190, NEHRU NAGAR, REWA (M.P.) 486001.

No. 645 /RO/MPPCB/TECH/2013

Rewa, Date 03/4/14

To.

M/S. Astha Construction & Minerals (Stone Crusher)
Pro. Shri Santosh Sharma
Vill - Bhalaha, Tah - Raipurkarehulian
Distt- Rewa (M.P.)Sub.: Renewal of Consent of the Board u/s 21 of Air (Prevention & control of Pollution)
Act 1981.

Ref.: Your application No.66564 Dated 11.11.13

With reference to your above application, the consent of the Board U/S.21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 is hereby renewed for the period of three years from 01.02.12 to 31.01.15 subject to the fulfillment of terms and conditions incorporated in the consent letter No.2532/RO/MPPCB/TECH/FN/10 Rewa dt.02.11.10 issued to you by this office with additional conditions mentioned below :-

01. This consent is valid for product and production capacity of :

Stone Gitti -10000 M.T./Year (Ten Thousand Metric Tones Per Year only)


ADDITIONAL CONDITIONS

02. Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification with in 03 months from the date of issue of this letter.
- Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit.
 - Construction of wind breaking walls of sufficient height.
 - Construction of the metalled road with in the premises.
 - Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
 - Growing of the green belt along the periphery.
03. The suspended particulate matter (SPM) measured between 03 mtrs. and 10 mtrs. from any process equipment of the stone crusher unit shall not exceed 600 µg/m³.
04. Industry shall submit ambient air quality monitoring report to the board once in six months.
05. Industry shall have to submit environmental statement as per the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 for the year ending 31st march every year on or before 30th September to the board.
06. Any change in process, raw materials, production capacity, capital investment etc. shall be informed to the Board. For any enhancement of above prior permission of the Board shall be obtained.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For and on behalf of the
M.P. Pollution control board

[Signature]
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)



Annexure - EC-1



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Rewa
 HHG - 190-191, Nehru Nagar Colony, Rewa
 (E-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in & rorewa_pcb@rediffmail.com)

RED-SMALL

CCA-Renewal

VALIDITY (A/W):31/01/2025

CONSENT NO:

PCB ID-16939

Outward No:-15304,11/11/2022

Consent No:AW-106616

To,

The Occupier,

M/s Astha Construction & Minerals Stone Crusher, Category: Red/Small
 Khasra. No. 224/1 Rakwa - 0.060 Hecter ,
 Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchullyan, Distt - Rewa, (MP).

Subject: Renewal of Consent under section 25(5) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 .

Ref: Your renewal of Consent Application Receipt No. 1233652 Dt. 27/09/2022 .

With reference to your above application renewal of consent is here by granted up to 31/01/2025 subject to the fulfillment of the terms & conditions incorporated in the schedule of the consent issued to you by the Board vide consent (CCA Operate) no:-AW-645/RO/MPPCB/TECH/dated 03/04/2014. along with the additional conditions mentioned below:

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Khasra. No. 224/1 Rakwa - 0.060 Hecter, Village- Bhaluha, Tehsil- Raipur Karchullyan, Distt - Rewa (M.P.)
 Mobile No.7049053381. Latitude- 24.5602 Longitude- 81.4119.
- b. The capital investment in lakhs: Rs. 15.0
- c. Product & Production Capacity:

Product	Production Capacity
1. Stone Gitti	10,000.00 MT / Year (Ten Thousand MT /Year Only)

Note - 1. For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

The Validity of the consent is up to 31/01/2025 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Regional Officer
 MPPCB-Rewa

Digitally Signed by:
 PUSPENDRA SINGH, S.E.
 Date: 11/11/2022 02:31:10 PM
 (Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
 TPAV # 1049RDY4GG

Signature Not Verified
 Digitally Signed by:
 PUSPENDRA SINGH, S.E.
 Date: 11/11/2022 02:31:10 PM

PUSHPENDRA SINGH
 Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 559

/क्षे.का./तक./प्रनिबो/2023

रीवा, दिनांक... 12/05/23

प्रति,

में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर
(प्रो. श्री संतोष शर्मा)
ग्राम -भलुहा, तहसील - रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश।

संदर्भ :- 1. दिनांक 15.04.2023 एवं 09.05.2023 को किया गया निरीक्षण।
2. बोर्ड द्वारा जारी सम्मति पत्र दिनांक 11.11.2022
3. उद्योग का पत्र दिनांक 12.05.2023

यह कि आपके द्वारा में में. आस्था कान्सट्रक्शन एण्ड मिनरल्स स्टोन क्रेशर का संचालन ग्राम-भलुहा तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म.प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालन किया जा रहा है एवं :-

1. बोर्ड द्वारा आपको सम्मति नवीनीकरण प्रदत्त किया गया था।
2. इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आपको प्रदत्त सम्मति नवीनीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।
3. स्टोन क्रेशर में निम्न उल्लंघन पाया गया :-
 1. उद्योग को जल छिड़काव की व्यवस्था का संचालन नहीं पाया जाना।
 2. गिट्टी पत्थर की भंडारण की अनुमति न होना।
 3. खदान के लिये बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करना।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं :-

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एच.आई.जी. 190-191 नेहरू नगर

Annex- EC-II

3. आपके द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है, आप स्टोन केसर को डीजल इंजन से चला रहे हैं, उसे स्थल से तत्काल हटायें।
4. म.प्र. खनिज संसाधन विभाग से भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधा खनिज विभाग से दी से दी गई है, तत्काल प्रभाव से की जावें।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी एवं यह जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, कृपया सूचित हो।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 21/5/23

पृ.क्रमांक/ 559 B /क्षे.का/तक./प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए स्टोन केसर संचालक द्वारा डीजल इंजन से स्टोन केसर का संचालन करते रहे अतएव तत्काल प्रभाव से डीजल इंजन जप्त किया जावे।
3. खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि खदान के पास बोर्ड की अनुमति न होना ना ही भंडारण की अनुमति पाई गई इस प्रकार पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए आपके विभाग से दी गई सुविधा स्थगित करने का कष्ट करे।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आर्द. जी. 190, 191 वेस्ट गेट
रीवा 485007

Annexure - 7

सौकी पत्रनामा

स्थान - रामनई
दिनांक - 04/07/2023

होम दिनांक 04/07/2023 को ग्राम रामनई तह. रामपुर कुर्.
जिला शिव गिरत कुशर मे. कार्या लोन कुशर डी. जंग मा.
एन. जी. टी. प्रिंसिपल बेन्च क्रमांक 166/2023 अनुपम पटेल
विषय म. प्र. शासन मे दिनांक 24/05/2023 को पारित आदेश के
अनुपालन मे अनुविधागीय अधिकारी राजलव, मन्गवा, शरीप
अधिकारी म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, खनिज अधिकारी शिव
व उपरिष्ठित लोगों के समक्ष- निरीक्षण किया गया। मंडे कि
शिवित से अवगत कराया जाकर पत्रनामा तैयार किया गया व
हस्ताक्षर कराये गये। पत्रनामा मेरे द्वारा लिखित किया गया।

शिव
04/07/2023
खनिज निरीक्षण शिव

नाम - शिव
नाम - पी. एस. शिवाजी
पद - अनुविधागीय अधिकारी
राजलव मन्गवा वॉमि कलेक्टर
शिव म. प्र.
हस्ताक्षर -

नाम - पुष्पेन्द्र सिंह
पद - शरीप अधिकारी
म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
शिव
हस्ताक्षर -

नाम - कार. डे. डिपुति
पद - प्रवारी अधिकारी खनिज
शिव
हस्ताक्षर - शिव

नाम - ए. के. शिवरि
पद - मुनिस्टर विकासिक
म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
हस्ताक्षर - शिव
04/07/23

नाम - श्री शिवशुभन सिंह
पद - मायब महलवाडा
रामपुर कुर्.
हस्ताक्षर -

नाम - सतोष शर्मा
कुशर स्यालक
हस्ताक्षर - सतोष शर्मा